आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या 13 :

रियायतों, अनुज्ञा–पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्त कर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण :–

(Particulars of receipients of concessions, permits or authorizations granted if any)

आबकारी विभाग में मुख्यतः सैनिकों/आई0टी0बी0पी0 के अधिकारियों/ कर्मचारियों को दी जाने वाली विदेशी मदिरा पर अभिकर में विशेष रियायतें की गयी हैं –

1. सेना/आई0टी0बी0पी0 के जवानों, जो अन्तर्राष्ट्रीय बाडर पर अति ऊचाई वाले स्थानों (High Altitude Areas) में तैनात हैं ऐस आर्मी के जवानों को 180180 बी0एल0 वार्षिक तथा आई0टी0बी0पी0 के जवानों को 41168 बी0एल0 की सीमा तक अभिकर में पूर्ण छूट प्रदान की जाती है। (शासादेश संख्या 27/आबकारी/2002 दिनांक 14.01.2002)।
2. सेना/आई0टी0बी0पी0 के जवानों को दी जाने वली **रम** पर सामान्य अभिकर रू0 55/– ए0एल0 के स्थान पर रूपये 45/– ए0एल0 की दर से अभिकर वसूला जाता है। इस प्रकार सेना/आई0टी0बी0पी0 के जवानों, को रूपये 10/– प्रति ए0एल0 की विशेष छूट प्रदान की जाती है। ***(कृपया देखें वर्ष 2006–07 का टैक्स स्ट्रकर्च का विवरण आर0टी0आई0 मैनुअल–5 के अन्तर्गत)***
3. भारतीय सेना की रेजीमेन्टों, यूनिटों को उनके सेंटनरी, स्वर्ण जयन्ती, रजत जयन्ती, 50 वर्षीय, 25 वर्षीय, 5 वर्षीय स्थापना दिवसों को होने वाले विशेष समारोहों पर अभिकर में विशेष छूट प्रदान की जाती है। वर्ष 2005–06 में शासनादेश 1752/XXIII/04/51/VIP/2002 दिनांक 25.11.2004 के द्वारा यह छूट निम्नानुसार निर्धारित की गयी है –

(क)	50 वर्ष में एक बार मनाये जाने वाले समारोह जैसे स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर	मांग का 60 प्रतिशत की छूट
(ख)	25 वर्ष में एक बार मनाये जाने वाले समारोह जैसे रजत जयन्ती के अवसर पर	मांग का 30 प्रतिशत की छूट
(ग)	05 वर्ष में एक बार मनाये जाने वाले समारोह जैसे पंचवर्षीय रि–यूनियन के अवसर पर	मांग का 20 प्रतिशत की छूट
(घ)	02 वर्ष में एक बार मनाये जाने वाले समारोह जैसे द्विवार्षिक रि–यूनियन के अवसर पर	मांग का 15 प्रतिशत की छूट
(ड)	वार्षिक सैन्य समारोह	कोई छूट प्रदान नहीं की गयी जायेगी।

4. विभाग में सुरासव (रेक्टिफाई स्प्रिट) तथा विशुद्ध मद्यसार (एब्सल्यूड एल्कोहल) को विभिन्न संस्थाओं जैसे विद्यालय, अस्पताल, सरकारी संस्थायें आदि को निःशुल्क दिये जाने की भी व्यवस्था की गयी है। जो आबकारी मैनुअल खण्ड प्रथम भाग–4 के प्रस्तर 497 में निम्नवत् है:–

ळ. डैप्ब्स्स्।छम्ब्ै प्छैज्त्न्ब्ज्प्छै

विभिन्न संस्थाओं को दिये जाने वाले निःशुल्क सुरासव तथा विशुद्ध मद्यसार

497. वर्गीकृत विभिन्न संस्थाओं को दिये जाने वाले निःशुल्क सुरासव तथा विशुद्ध मद्यसार दिये जाने हेतु निम्न सिद्वान्तों का पालन किया जायेगा।

(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज, सरकारी अस्पताल, शिक्षा विभाग, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं, भारत सरकार की प्रयोगशालाओं को निर्धारित अधिकतम वार्षिक कोटा देने के लिए कालान्तर में एक विशेष प्रकार का स्थायी परमिट आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किया जायेगा, जिस पर हर वर्ष निःशुल्क कोटा प्राप्त करने के लिए अधिकृत रहेंगे। इस बीच वर्तमान प्रक्रिया के अनुरूप आबकारी आयुक्त द्वारा वार्षिक कोटा प्रतिवर्ष स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी।

(ख) गैर सरकारी अस्पतालों, राजकीय एवं अराजकीय विभिन्न संस्थाओं और सुरक्षा सामग्री उत्पादित करने वाली इकाइयों को निर्धारित सीमा तक सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी की संस्तुति एवं जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण रिपोर्ट पर परमिट जारी करने का अधिकार जिलाधिकारी को होगा।

(ग) उक्त प्रस्तर (क) और (ख) के मामलों में निर्धारित सीमा से अधिक निःशुल्क सुरासव/विशुद्ध मद्यसार की आवश्यकता होने पर प्रस्ताव आबकारी आयुक्त को संदर्भित किया जायेगा।

(घ) किसी संस्था द्वारा प्राप्त निःशुल्क सुरासव एवं विशुद्ध मद्यसार का दुरूपयोग किये जाने पर आबकारी आयुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निःशुल्क सुरासव/विशुद्ध मद्यसार की सुविधा समाप्त की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में उस संस्था की मांग के अनुसार सशुल्क सुरासव एवं विशुद्ध मद्यसार दिया जायेगा।

परिशिष्ट 'क'

संस्था का नाम	श्रेणी	मांग पत्र देने वाला अधिकारी	मांग–पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी	मांग–पत्र की जांच कर संस्तुति देने वाला अधिकारी	आबकारी आयुक्त/जिलाधिकारी द्वारा एक वर्ष में निःशुल्क दी जाने वाली अधिकृत (मात्रा लिटर में)	
					6	
1	2	3	4	5	सुरासव	विशुद्ध मद्यसार
1– अस्पताल	(1) मेडिकल कालेज	प्रिसिंपल	–	जिला आबकारी अधिकारी	1,500	500
	(2) सरकारी अस्पताल	मुख्य चिकित्सा अधिकारी या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	–	जिला आबकारी अधिकारी	500	100

	(3) गैर सरकारी अस्पताल	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	सी0एम0ओ0 एवं कलेक्टर द्वारा प्रमाणित करने पर कि अस्पताल धर्मार्थ है	जिला आबकारी अधिकारी	250	20
2– शिक्षण संस्थायें	(1) विश्व विद्यालय	रजिस्ट्रार	कलेक्टर	उप आबकारी आयुक्त चार्ज	800	200
	(2) कालेज	प्रिंसिपल	कलेक्टर	जिला आबकारी आयुक्त	400	150
	(3) स्कूल (माध्यमिक)	प्रिंसिपल	जिला स्कूल निरीक्षक	जिला आबकारी अधिकारी	200	100
3– सरकारी प्रयोगशालाएं	(1) केन्द्रीय	प्रभारी अधिकारी प्रयोगशाला	कलेक्टर	उप आबकारी आयुक्त चार्ज	400	50
	(2) प्रदेशीय	–तदैव–	क्लेक्टर	जिला आबकारी अधिकारी	300	30
4– विविध संस्थायें	(1) राजकीय	प्रभारी अधिकारी, संस्था	कलेक्टर	जिला आबकारी अधिकारी	250	20
	(2) अराजकीय	–तदैव–	कलेक्टर द्वारा प्रमाणित करने पर कि संस्था का कार्य जनहित में है।	जिला आबकारी अधिकारी	100	10
5– सैनिक प्रतिष्ठान	सुरक्षा सामग्री उत्पादित करने वाली इकाइयां	प्रभारी अधिकारी प्रतिष्ठान	कलेक्टर	जिला आबकारी अधिकारी	1000	100
(उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्याः 4699 ई–2/तेरह–100/88 दि0 मार्च, 17, 1989)						

शासनादेश संख्या 4699ई–2/तेरह –100/88दिनांक 17.3.1989 के क्रम में

वर्ष 2005–2006 में राज्य में विभिन्न संस्थाओं को दिये गये निःशुल्क सुरासव, विकृत सुरा, विशुद्व मद्यसार की संख्यावार सूचीः–

प्रारूप

क0 सं0	संस्था का नाम	एस0डी0एस0 (ब0ली0 में)	आर0एस0 (ब0ली0 में)	एब्सोल्यूट (ब0ली0में)
1	सर्व श्री :– प्राचार्य , राजकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय , पिथौरागढ।	–	100	
2.	प्रभारी फार्मेसी विभाग (विश्वविद्यालय)कुमायूँ, भीमताल , नैनीताल।		200	
3.	प्राधनाचार्या राजकीय इण्टर कालेज रामनगर, नैनीताल	200		
4.	प्राचार्य , राजकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय , अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग।	100	50	

5.	सहायक अभियन्ता राजभवन, नैनीताल	300		
6.	प्राधनाचार्य एम0पी0हिन्दू इण्टर कालेज रामनगर,नैनीताल		200	
7.	प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल घोडाखाल, नैनीताल।		50	
8	सचिव रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम, कनखल,हरिद्वार	200	400	
9	प्रबन्धक, एडिशनल, डायरेक्टर, एण्ड आफीसर्स इन्चार्ज,जुलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया, देहरादून।		480	
10	जिला क्षय रोग अधिकारी, पिथौरागढ।		100	
11.	महा प्रबन्धक, आयुध, निर्माणी रायपुर, देहरादून।		1200	
12	वरिष्ठ जिला क्षय नियन्त्रण अधिकारी, पौडी गढवाल।		200	
13.	प्रबन्धक, सरदार भगवान सिंह पोस्ट ग्रेज्यूएट इन्सीटियूट आफ बायोमेडिकल साईन्स एण्ड रिसर्च बालावाला, देहरादून।		200	
14.	मै0 आप्टो इलैक्ट्रोनिक्स फैक्ट्री रायपुर, देहरादून।		500	
15.	प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल।	200		
16.	प्रधानाचार्य , सैनिक स्कूल घोडाखाल, नैनीताल	200		
17	प्रधानाचार्य एम0बी0इण्टर कालेज हल्द्वानी(नैनीताल)	100		
18.	विभागाध्यक्ष, प्राणि विज्ञान विभाग, एस0आर0टी0 महाविद्यालय,बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल।		100	
19.	मुख्य चिकित्साधिकारी,पौडी गढवाल।		200	
20	प्राचार्य हेमवन्ती नन्दन ग0वि0विद्यालय (कैमेस्ट्री डिपार्टमेन्ट) श्रीनगर पौडी,गढवाल		25	
21	प्रधानाचार्य राजकीय पालीटैकनिक श्रीनगर गढवाल।		20	
22	कुल सचिव, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय , पन्तनगर ,ऊधमसिंहनगर	400	400	
23	चिकित्साधीक्षक,भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, (बी0एच0ई0एल0) रानीपुर,हरिद्वार		300	

24	प्राचार्य राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय ,काशीपुर (ऊधमसिंहनगर)	400	100	
25	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बी0डी0 पाण्डे (पुरूष)चिकित्सालय ,नैनीताल		100	
26	प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर,महाविद्यालय अगस्तमुनि ,रूद्रप्रयाग		100	
27	सचिव, मै0 रामकृण्ण मिशन सेवाश्रम, कनखल, हरिद्वार	400	200	
28.	प्रबन्धक, (लेखा एवं भण्डार) डा0 सुशीला तिवारी स्मारक वन चिकित्सालय ,हल्द्वानी, नैनीताल	1000		
29.	डी0जी0एम0 मै0 आप्टो इलैक्ट्रोनिक्स फैक्ट्री, रायपुर देहरादून।		1200	
30	सहायक अभियन्ता राजभवन, नैनीताल	300		
31.	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका बी0डी0 पाण्डे महिला हास्पिटल, नैनीताल		50	
32	प्रधानाचार्य , राजकीय पोलीटैक्निक नैनीताल	150	150	
33	वरिष्ठ जिला क्षय नियन्त्रण अधिकारी,रूद्रप्रयाग		60	
34.	विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान हे0न0बहु0 ग0वि0 पौडी, परिसर,	200		
35	प्रबन्धक, सरदार भगवान सिंह पोस्ट ग्रेज्यूएट इन्सीटियूट आफ बायोमेडिकल साईन्स एण्ड रिसर्च बालावाला, देहरादून।		400	
36	विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ	100		100
	वर्ष का कुल योग–	4250	7135	100

शासनादेश संख्या 4699 ई–2/तेरह –100/88 दिनांक 17.03.1989 एवं शासनादेश संख्या–3195ई–2/तेरह –95–100/88लखनऊ दिनांक 15.11.1995 के क्रम में

वर्ष 2006–07 से वर्ष 2008–09 में राज्य में विभिन्न संस्थाओं को दिये गये निःशुल्क सुरासव, विकृत सुरा, विशुद्ध मद्यसार की संख्यावार सूचीः–

क्रं0 सं0	संस्था का नाम सर्व श्री	एस0डी0एस0 (ब0ली0 में)	आर0एस0 (ब0ली0 में)	एब्सोल्यूट (ब0ली0 में)
वर्ष 2006–07				
1	प्रिसिंपल, इन्वेस्टीगेटर (डी0एस0टी0 प्रोजेक्ट) रसायन विज्ञान विभाग।	—	25.00	—
2	चिकित्सा अधीक्षक भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटे,(BHEL) रानीपुर, हरिद्वार ।	500.00	—	—
3	वरिष्ठ जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी रूद्रप्रयाग।	—	60.00	—
4	मद्य प्रबन्धक आयुद्ध निर्माणी, रायपुर,देहरादून।	—	1200.00	—
5	प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली	—	20.00	—
6	प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली।	50.00	20.00	—
7	मै0 अप्टो इलेक्ट्रानिक्स फैक्ट्री, रायपुर, देहरादून।	—	1000.00	—
8	गोविन्द बल्लभ पन्त , कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय, पन्तनगर, ऊधमसिहनगर।	—	—	199.80
9	मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, डा0 सुशीला तिवारी फारेस्ट हास्पिटल,हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।	1000.00	—	—
10	निदेशक, जीवन लाल मेडिकल सेन्टर हाथीखाल,हल्द्वानी नैनीताल।	100.00	—	—
11	वरिष्ठ, जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला क्षय निवारण केन्द्र हल्द्वानी , नैनीताल।	—	100.00	—
12	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुक्तेश्वर कुमांयु उत्तरांचल	200.00	200.00	—
13	सरदार भगवान सिंह पोस्ट ग्रेज्यूएट इन्सीटीट्यूट बायोमेडिकल साईसेन्स, एण्ड रिसर्च, बालावाला, देहरादून।	—	400.00	—
14	प्रधानाचार्य, रा0इ0कालेज मोतीनगर, हल्द्वानी, नैनीताल।	—	50.00	—
15	प्रार्चा पं ल0मो0शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देहरादून ।	100.00	100.00	—
16	प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर ,महांविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली।	10.00	10.00	—
17	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महांविद्यालय, गोपेश्वर , चमोली।	—	—	10.00
18	प्रधानाचार्य गांधी इण्टरमीडिएट, कालेज, देहरादून।	100.00	—	—

19	प्रधान प्रबन्धक, मै0राय बहादुर नारायणसिंह शुगर मिल लि0,लक्सर , जनपद हरिद्वार।	2500.00	—	—
वर्ष 2007–08				
1	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,बी0डी0पाण्डे(पुरूष) चिकित्सालय, नैनीताल।	—	100.00	—
2	सहायक अभियन्ता, राजभवन, नैनीताल	250.00	—	—
3	प्रभारी अधिकारी भण्डार,कृते निदेशक विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा।	—	100.00	—
4	प्रभारी अधिकारी (भण्डार) कृते निदेशक, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान, अल्मोड़ा।	—	—	200.00
5	निदेशक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान मुक्तेश्वर, कुमांयु।	—	—	200.00
6	महांप्रबन्धक, भारतीय आयुद्ध निर्माणियां, आयुध निर्माणी, रायपुर, देहरादून।	—	1200.00	—
7	चिकित्सा अधीक्षक, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, लिमिटेड, हरिद्वार ।	500.00	—	—
8	मै0 आप्टो इलैक्ट्रोनिक्स फैक्ट्री रायपुर, देहरादून।	—	920.00	—
9	सरदार भगवान सिंह पोस्ट ग्रेज्युएट इन्सीट्यूट बायोमेडिकल साईन्सेज एण्ड रिसर्च बालावाला,देहरादून।	—	400.00	—
10	निदेशक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान मुक्तेश्वर– कुमांयु।	—	—	200.00
11	प्राचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।	160.00	—	—
12	प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार।	160.00	160.00	—
13	विभागाध्यक्ष, रसायन, एच0एन0बी0जी0क्यू0 कैम्पस, पौडी।	180.00	180.00	—
14	प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेकनिक द्वाराहाट, जनपद, अल्मोड़ा।	100.00	—	100.00
15	प्रधानाचार्य जी0आर0डी0पोस्ट, ग्रेजुएट इन्सीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलाजी, 216,राजपुर रोड़, देहरादून।	—	180.00	—

16	प्रशासनिक अधिकारी,सैन्ट्रल सायल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन रियर्स एण्ड ट्रेनिंग इन्सीटीट्यूट 218,कोलागढ़ रोड़, देहरादून।	—	20.00	—
17	निदेशक, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, अल्मोड़ा।	—	100.00	—
18	डायरेक्टर राष्ट्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र, भीमताल, जनपद– नैनीताल।	10.00	10.00	—
19	कुल सचिव, वन अनुसंधान संस्थान,भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, डाकघर न्यू फारेस्ट, देहरादून।	250.00	330.00	—
20	प्राचार्य एम0बी0राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी(नैनीताल)।	200.00	100.00	—
21	प्रबन्धक डा0सुशीला तिवारी स्मारक वन चिकित्सालय एवं मेडिकल, कालेज हल्द्वानी, नैनीताल।	1000.00	—	—
22	गुरू राम राय , इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी एण्ड सांईस पटेलनग, देहरादून।	—	480.00	—
23	प्रबन्धक मै0 अप्टो इलेक्ट्रानिक्स फैक्ट्री, रायपुर, देहरादून।	—	800.00	—
वर्ष 2008–09				
1	सरदार भगवान सिंह पोस्ट ग्रेजुएट इन्सीटिट्यूट बायोमेडिकल साईन्सेज एण्ड रिसर्च बालावाला,देहरादून।	—	500.00	—
2	भारतीय आयुद्ध निर्माणियां आयुद्ध निर्माणी, रायपुर, देहरादून।	—	800.00	—
3	चिकित्सा अधीक्षक,हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर,हरिद्वार।	500.00	—	—
4	निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, उत्तरी परिमण्डल कोलागढ़ रोड़, देहरादून।	200.00	100.00	100.00
5	प्रबन्धक, मै0आप्टो इलैक्ट्रोनिक्स, फैक्ट्री रायपुर, देहरादून।	—	400.00	—
6	प्रमुख अधीक्षक क्षयरोगाश्रम, भवाली, नैनीताल।	—	77.00	—

7	एस0एन0बहुगुणा,प्रोफेसर जन्तु विज्ञान संकाय एण्ड बायोटैक्नालाजी हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वांल।	—	20.00	—
9	प्रमुख अधीक्षक, बी0डी0पाण्डे, पुरूष चिकित्सालय, नैनीताल।	—	70.00	—
10	कुल सचिव,गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,पन्तनगर, उधमसिंहनगर।	200.00	400.00	—
11	प्राचार्य,राजकीय महाविद्यालय शमननगर, नैनीताल।	100.00	—	—
12	प्रबन्धक मै0 उत्तरांचल फारिस्ट हास्पिटल ट्रस्ट,अल्द्वानी के अधीन, डा0सुशीला तिवारी स्मारक वन चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेज, हल्द्वानी,नैनीताल ।	1000.00	—	—
13	प्रबन्धक भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर कुमांयु, उत्तराखण्ड।	200.00	200.00	200.00
14	प्रबन्धक वन अनुसंधान संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद,देहरादून।	2000.00	1500.00	650.00
15	प्रबन्धक सरदार भगवान सिंह पोस्ट, ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट बायो मेडिकल, साईसेज एण्ड रिसर्च बालावाला,देहरादून।	—	400.00	—
16	प्रबन्धक, भारतीय आयुद्ध निर्माणियां आयुद्ध निर्माणी रायपुर, देहरादून।	—	1200.00	—
17	प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी ।	200.00	—	—
18	प्रबन्धक शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, भीमताल नैनीताल।	—	30.00	—
19	प्रधानाचार्य,राजकीय इण्टर कालेज थाती, धनारी , जिला उत्तरकाशी।	20.00	—	—
20	प्रबन्धक, मै0आप्टो इलेक्ट्रोनिक्स, फैक्ट्री रायपुर, देहरादून।	—	1000.00	—

List of Regiments of Units Of Indian Army to whom DFR was given under G.O. No.27/Excise/2002 dated 14/1/02 for the year 2005-06

S.No.	Name of the Unit	Rum in BL
1	12 Sikh LT, Pithoragarh	3754.5
2	17 Sikh Regiment, Pithoragarh	837
3	350 Supply Platoon	745
4	418 (Swatantra), Chamoli	435
5	9(I) Mtn BDe GP, Chamoli	1854
6	Garrison Engineer 871 Engineers Works, Chamoli	126
7	Garhwal Rifles, Rudraprayag	1353
8	196 (Swatantra) Yuth Karshala, Chamoli	273
9	3 Company C Composite Signal Regiment, Chamoli	132
10	5009 Coy ASC (Comp), Chamoli	720
11	1988 Medium Battery, Pithoragarh	1206
12	9 Kumaon Regiment, Pithoragarh	3624
13	130 Paryavaran Company, Pithoragarh	498
14	Garhwal Scout, Chamoli	5104.5
15	Kumaon Scouts, Pithoragarh	4176
16	16 Grenadiers Uttarkashi	1323
17	197 Maidani Top Khana, Tehri Garhwal	2433
18	69 Mtn Bd, Pithoragarh	1344
19	9(I) Mtn Bd, Chamoli	301
20	852 Lit Reg. Pithoragarh	519
21	2009 Fiels Abbulance, Chamoli	925.5
22	17 Sikh Regiment, Pithoragarh	558
23	168 Sena Hospital, Pithoragarh	300
24	5009 Dwitiya AC, Chamoli	225
25	871 Engineering Works Section Military Engineering	370.5
26	130 INV BN (7A) ECO, Pithoragarh	498
27	19 Grenadiers, Uttarkashi	3996
28	3 COY C. Camp Sig Reg, Chamoli	205.5
29	861 Lit Regiment	1611
30	6 Garhwal Fifles	2706
31	2009 Field Ambulance, Chamoli	303
32	418 (I) Fd, Coy, Chamoli	870
33	1 Archer, Pithoragarh	600
34	196 (I) Fd, Work Shop Coy	546
35	161 MH, Pithoragarh	300
36	26 Madras, Pithoragarh	839.25
37	196 (I) FD Work Shop	255
38	17 Garhwal Fifles, Rudraprayag	1333.5
39	418(I) Fd Coy, Chamoli	418.5
40	197 Field Regiment, Tehri	820.5
41	9(I) Mtn Bd G.P.O. M.P.	208.5
	Total	

List of Regiments of Units of Indian Army to whom DFR was given under G.O.No 27/Excise/2002 dated 14-01-02 for the year 2006-07

S.No	Name of the Unit	Total
1	2	3
1	12 Sikh LT, Pithoragarh	2319
2	17 Kumaon Regiment	2358
3	350 Supply Platoon	364.5
4	418 (Swatantra), Chamoli	791.5
5	9(1) Mtn BDe GP, Champ	1203
6	Garrison Engineer 871 Engineers Works, Chamoli	373.5
7	3 Company C Composite Signal Regiment, Chamoli	265.5
8	5009 Coy ASC (Comp), Chamoli	528
9	1988 Medium Battery, Pithoragarh	1260
10	130 Paryavaran Company, Pithoragarh	306.75
11	Garhwal Scout, Chamoli	5101.5
12	Kumaon Scout, Pithoragarh	4237.5
13	69 Mtn Bd, Pithoragarh	634.5
14	9 (1) Mtn Bd, Chamoli	499.5
15	2009 Files Abbulance, Chamoli	1258.5
16	5009 Dwitiya AC, Chamoli	531
17	871 Engineering Works Section Military Engineering	118
18	130 INV BN (7A) ECO, Pithoragarh	306.75
19	19 Grenadiers, Uttarkashi	5472
20	3 COY C. Camp Sig Reg, Chamoi	190.5
21	861 Lit Regiment	1242
22	1 Archer, Pithoragarh	2814.75
23	196 (I) Fd, Work Shop Coy	522
24	161 MH, Pithoragarh	369
25	196 (I) Fd Work Shop	529.5
26	17 Garhwal Rifles, Rudraprayag	5400
27	418 (I) Fd Coy, Chamoli	792
28	9 (I) Mtn Bd G.P.O. M.P	603
29	159 Lt. Reg.	2449.5
30	821 Lt. Regiment	1408.5
	Total	44249.75

List of Regiments of Units of Indian Army to whom DFR was given under G.O.No 27/Excise/2002 dated 14-01-02 for the year 2007-08

S.No	Name of the Unit	Total
1	2	3
1	17 Kumaon Regiment	4428
2	350 Supply Platoon	953.125
3	9(1) Mtn BDe GP, Champ	639
4	196 (Swatantra) Yuth Karshala, Chamoli	267
5	3 Company C Composite Signal Regiment, Chamoli	436.5
6	5009 Coy ASC (Comp), Chamoli	516
7	1988 Medium Battery, Pithoragarh	873
8	130 Paryavaran Company, Pithoragarh	317.25
9	Garhwal Scout, Chamoli	3748.5
10	Kumaon Scout, Pithoragarh	4381.75
11	69 Mtn Bd, Pithoragarh	1359
12	9 (1) Mtn Bd, Chamoli	943.5
13	2009 Files Abbulance, Chamoli	604.5
14	16 Sikh Regiment, Pithoragarh	3566.25
15	5009 Dwitiya AC, Chamoli	537
16	871 Engineering Works Section Military Engineering	429
17	130 INV BN (7A) ECO, Pithoragarh	634.5
18	19 Grenadiers, Uttarkashi	5464.5
19	3 COY C. Camp Sig Reg, Chamoi	136.5
20	1 Archer, Pithoragarh	2799.75
21	196 (I) Fd, Work Shop Coy	768
22	161 MH, Pithoragarh	612
23	17 Garhwal Rifles, Rudraprayag	5272.5
24	9 (I) Mtn Bd G.P.O. M.P	297
25	159 Lt. Reg.	2523
26	821 Lt. Regiment	1966.5
27	119 Fd Whsp Coy EME	79.5
28	8(I) Fd Coy.	1144.5
	Total	45697.625

List of Regiments of Units of Indian Army to whom DFR was given under G.O.No 27/Excise/2002 dated 14-01-02 for the year 2008-09

S.No	Name of the Unit	Total
1	2	3
1	17 Kumaon Regiment	4422.375
2	350 Supply Platoon	984
3	9(1) Mtn BDe GP, Champ	1248
4	3 Company C Composite Signal Regiment, Chamoli	136.5
5	5009 Coy ASC (Comp), Chamoli	1046.75
6	1988 Medium Battery, Pithoragarh	1105.5
7	Garhwal Scout, Chamoli	4089.5
8	Kumaon Scout, Pithoragarh	4096.5
9	69 Mtn Bd, Pithoragarh	1320
10	9 (1) Mtn Bd, Chamoli	385.5
11	2009 Files Abbulance, Chamoli	1237.5
12	16 Sikh Regiment, Pithoragarh	4409.5
13	871 Engineering Works Section Military Engineering	486
14	130 INV BN (7A) ECO, Pithoragarh	2208
15	3 COY C. Camp Sig Reg, Chamoi	270
16	1 Archer, Pithoragarh	2799
17	196 (I) Fd, Work Shop Coy	1012.5
18	161 MH, Pithoragarh	297
19	17 Garhwal Rifles, Rudraprayag	2517
20	9 (I) Mtn Bd G.P.O. M.P	1668
21	159 Lt. Reg.	3273
22	821 Lt. Regiment	1874.25
23	119 Fd Whsp Coy EME	177.375
24	8(I) Fd Coy.	1125.5
25	2 Madras	2449.5
26	2 Rajpoot	2614.5
	Total	47253.25

वर्ष 2008–09 में सेना की युनिटों को एफ0एल0–9ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत रियायती अभिकर की दर से दी गयी छूट का विवरण

2	सामान्य अभिकर की दर	56 रूपये प्रति ए0एल0
3	रियायती अभिकर की दर	45 रूपये प्रति ए0एल0
4	अभिकर में रियायत	11 रूपये प्रति ए0एल0

List of Regiments & Units Of Indian Army to whom rebate on Surcharge was given unde G.O. No. 1752/23/04/51/VIP/2002 dated 25-11-04 for the year 2005-06

S. No.	Order/Date	Name of the Unit	Rebate on Surcharge (Rs.)
1	3000,10/5/05	116 I.N.F. C/o 56 A.P.O.	27310.00
2	2902, 13/9/05	14 Infantry Division Armament Unit	3171.00
3	3443, 29/10/05	11 Field Regiment 242 Field Regiment 851 LT Regiment	17384.00
4	3541, 18/11/05	197 Field Regiment	9171.40
5	3594, 23/11/05	14 Arty Bde 321 Field Regiment 14 Med Regiment 163 Med Regiment 52 Field Regiment	36879.00
6	3611, 28/11/05	Mtn Bde Gp	1561.00
7	24/12/05	Central Cmd Sir SP Sig Unit	1663.00
8	5037, 13/1/06	CO 23 Experimental Unit	6834.20
9	5202, 7/2/06	14 Rapid Sig Reg (AREN)	473.00
10	5209, 7/2/06	10 Assam Regiment	24359.00
11	5214, 7/2/06	C Composite Signal Regiment Unit	8623.00
12	5256, 14/2/06	3 Field Regiment Unit	7144.00
			144572.60

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

उप महानिरीक्षक,
(उत्तरी) फ्रंटियर
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल,
गृह मंत्रालय/भारत सरकार,
पत्रालय सीमाद्वार,देहरादून।

दिनांकःदेहरादूनःफरवरी 05 ,2009

विषयः— **सेना की इकाईयों को मदिरा की आपूर्ति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1—27011/06/ शि०व क०—119—34/दिनांकः 06.01.2009 पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि 41,168 ब0ली0 (सी0डी0आर0) की सीमा के अन्तर्गत उत्तराखण्ड की भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की ईकाइयों को आनुपातिक तौर पर आवंटन महानिरीक्षक (उत्तरी) फ्रंटियर, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।

कृपया तदानुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0के0बी0जौहरी)
संयुक्त आबकारी आयुक्त,
कृते आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

उत्तरांचल की आसवनियों / चीनी मिलों से प्राप्त होने वाले विवरण पत्रों की सूची एवं उनके प्राप्ति की निर्धारित तिथि

क0 सं0	विवरण	आसवनी में तैयार होने की तिथि	आयुक्तालय में प्राप्त होने की प्रस्तावित तिथि	चीनी मिल में तैयार होने की तिथि	जनपद स्तर तैयार होने की तिथि	आयुक्तालय में प्राप्त होने की प्रस्ता–वित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	**आसवनियों द्वारा**	2 तारीख तक	5 तारीख तक	–	–	–
1	प्रपत्र–अ आसव का उत्पादन व निकासी का संतह विवरण ए0एल0 में	2 तारीख तक	5 तारीख तक	–	–	–
2.	प्रपत्र–ब अन्य प्रदेशों को आबकारी आयुक्त उत्तरांचल के आदेशानुसार निर्यात किये गये देशी मदिरा की प्रदेशवार मात्रा (ब0ली0) में	2 तारीख तक	5 तारीख तक	–	–	–
3	प्रपत्र–स विभिन्न संस्थाओं को दिये गये आसव की कुल मात्रा का विवरण बी0एल0 / ए0एल0 में	2 तारीख तक	5 तारीख तक	–	–	–
4.	प्रपत्र–1 उत्तरांचल प्रदेश की विभिन्न	2 तारीख तक	5 तारीख तक	–	–	–

	आसवों के उत्पादन का मासिक विवरण					
5.	प्रपत्र–2 आसवनी से विभिन्न प्रकार के आसवों की निकासी का मासिक विवरण	2 तारीख तक	5 तारीख तक	–	–	–
6.	प्रपत्र–3 आसवनी में विभिन्न प्रकार के आसवों की निकासी का मासिक विवरण (एफ0एल0–3 लाईसेंस के अन्तर्गत बाटलिंग)	2 तारीख तक	5 तारीख तक	–	–	–
7.	प्रपत्र–4 आसवनी से बंधित गोदामों की आपूर्ति का मासिक विवरण	2 तारीख तक	5 तारीख तक	–	–	–
8.	प्रपत्र–5 माह में अब्सक्यूरेशन से प्राप्तियां	2 तारीख तक	5 तारीख तक	–	–	–
9.	प्रपत्र–6 माह में आसवनियों से विभिन्न एवं विशेष आसव, अपेय उपभोग में लायी गयी अल्कोहल की निकासी तथा उस पर लिये जाने वाला राजस्व का विवरण	2 तारीख तक	5 तारीख तक	–	–	–
1	प्रपत्र–7 राजस्व के	2 तारीख	5 तारीख	–	–	–

0	मदवार मासिक आंकड़े	तक	तक			
11.	प्रपत्र–8 आसवनी स्तर पर विभिन्न आसवों पर प्राप्त आबकारी राजस्व	2 तारीख तक	5 तारीख तक	–	–	–
12	प्रपत्र–च टैंकवार शीरा एवं अल्कोहल के मासान्त में अवशेष स्टॉक की स्थिति	2 तारीख तक	5 तारीख तक	–	–	–
13.	प्रपत्र पी0डी0–29 समेकित संकलित सूचना	2 तारीख तक	5 तारीख तक	–	–	–
14.	एम0एफ0–8 आसवनियों में शीरे के आगामी वर्ष के संभावित उपभोग का आंकलन	1 सितम्बर तक	1 सितम्बर तक	–	–	–
15.	एम0एफ0–10 टैंकवार शीरे की प्राप्ति, उपभोग, संचय एवं उपभोग का आंकलन	2 तारीख तक	5 तारीख तक	–	–	–
16	एम0एफ0–11 चीनी मिल वार टैंकरवार शीरे की प्राप्ति का विवरण	2 तारीख तक	5 तारीख तक	–	–	–
2.	**चीनी मिलों से संबंधित पाक्षिक विवरण**					
1.	प्रपत्र–क अवशेष एवं उत्पादित शीरे का पाक्षिक	–	–	प्रथम पक्ष 16 तारीख	प्रथम पक्ष 18 तारीख	प्रथम पक्ष 20 तारीख

	विवरण–पत्र			तक द्वितीय पक्ष 1 तारीख तक	तक द्वितीय पक्ष 4 तारीख तक	तक द्वितीय पक्ष 6 तारीख तक
2.	एफ0एफ0–1 पाक्षिक एवं साप्ताहिक टैंकर	–	–	प्रथम पक्ष 16 तारीख तक द्वितीय पक्ष 1 तारीख तक	प्रथम पक्ष 18 तारीख तक द्वितीय पक्ष 4 तारीख तक	प्रथम पक्ष 20 तारीख तक द्वितीय पक्ष 6 तारीख तक
3.	एम0एफ0–2 माहवार, टैंकवार स्टॉक एवं सम्भरण का विवरण	–	–	प्रथम पक्ष 16 तारीख तक द्वितीय पक्ष 1 तारीख तक	प्रथम पक्ष 18 तारीख तक द्वितीय पक्ष 4 तारीख तक	प्रथम पक्ष 20 तारीख तक द्वितीय पक्ष 6 तारीख तक
4.	एम0एफ0–7 चीनी मिल में शीरा संचय टैंक में शीरे की गुणवत्ता (ब्रिक्स एण्ड टी0आर0एस0) लेयरवाईज संचित शीरे का विवरण	–	–	प्रथम पक्ष 16 तारीख तक द्वितीय पक्ष 1 तारीख तक	प्रथम पक्ष 18 तारीख तक द्वितीय पक्ष 4 तारीख तक	प्रथम पक्ष 20 तारीख तक द्वितीय पक्ष 6 तारीख तक
5.	एम0एफ0–9 चीनी मिलों में शीरे के आगामी वर्ष के सम्भावित उत्पादन का आंकलन	–	–	–	–	31 अगस्त तक

वर्ष 2005–06 की आबकारी नीति/टैक्स स्ट्रक्चर/विभिन्न देशी/विदेशी मदिरा के उत्पादन/थोक व फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन के व्यवस्थापन/ नवीनीकरण/शीरा नीति आदि की समयबद्ध समय सारिणी का निर्धारण–

आबकारी नीति की घोषणा	28.2.2005 तक
टैक्स स्ट्रक्चर (आबकारी अभिकर आदि की दरों का निर्धारण)	12.3.2005 तक
देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन	15.3.2005 तक

क0 सं0	**देशी/विदेशी मदिरा के उत्पादन ईकाईयों**		
		आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	आसवनी के पी0डी0–2 अनुज्ञापन का नवीनीकरण	28.2.2005	25.3.2005
2	एफ0एल0–1, एफ0एल0–3 का नवीनीकरण	28.2.2005	25.3.2005
3.	डी0एस0–1 अनुज्ञापन का नवीनीकरण	28.2.2005	25.3.2005
4.	एफ0एल0एम0–3 (बाटलिंग प्लान्ट)	28.2.2005	25.3.2005
	देशी/विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन		
		आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	सी0एल0–1 अनुज्ञापन	28.2.2005	12.3.2005
2.	एफ0एल0–2 अनुज्ञापन	28.2.2005	12.3.2005
3.	बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2/2 बी बाण्ड	28.2.2005	12.3.2005
	देशी/विदेशी मदिरा का मूल्य निर्धारण		
		आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	देशी मदिरा का मूल्य निर्धारण	5.3.2005	12.3.2005
2	विदेशी मदिरा की ई0डी0पी0	5.3.2005	12.3.2005
3	लेबिल के अनुमोदन	5.3.2005	12.3.2005
4	होलोग्राम आपूर्तक का चयन	28.2.2006	15.3.2006
	बार/बियर बार/क्लब बार		
		आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि

1.	एफ0एल0–6 (सम्मिश्र) / एफ0एल0–7	28.2.2005	25.3.2005
2	एफ0एल0–7बी / एफ0एल0–7सी	28.2.2005	25.3.2005
सैनिक यूनिट के अनुज्ञापन			
1	एफ0एल0–9 / एफ0एल0–9ए	28.2.2005	25.3.2005
डिनेचर्ड स्प्रिट के अनुज्ञापन			
2	एफ0एल0–16 / एफ0एल0–17	28.2.2005	25.3.2005
औद्योगिक ईकाईयों का अनुज्ञापन			
		आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	एफ0एल0–39 / एफ0एल0–40 / एफ0एल0–41	28.2.2005	25.3.2005
एम0एन्ड0टी0पी0 एक्ट के अनुज्ञापन			
		28.2.2005	25.3.2005
1	एल0–1 / एल–2 / एन0डी0एल0डी0		

शीरा नीति की घोषणा 15.10.2005 तक

जिला आबकारी अधिकारी अपने कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को 05 दिन के भीतर जिलाधिकारी को अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी अपने स्तर से 05 दिन के भीतर आबकारी आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय से नवीनीकृत होने वाले अनुज्ञापनों से संबंधित) 10 मार्च 2005 तक अपनी आख्या प्रेषित करेंगे।

ई0आई0बी0 अनुभाग द्वारा जनपदों से प्राप्त होने वाले विवरण पत्रों की समयबद्ध सारिणी

क0 सं0	विवरण पत्रों का नाम	जनपद स्तर पर तैयार होने की तिथि	मुख्यालय स्तर पर अनिवार्यतः प्राप्त होने की तिथि
1	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–1) from one (जनता के विरूद्ध अभियोगों से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
2	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–2) from Two (अपहृत मादक पदार्थों की मात्रा से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
3	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–3) from Three (देशी शराब के उपभोग/एम0जी0क्यू0 से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
4	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–4क) from four-A (एफ0एल0–1/1बी, बी0डब्ल्यू0 एफ0एल0–2/2बी, एफ0एल0–2 से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
5	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–4ख) from four-B (एफ0एल0–5डी, एफ0एल0–6/7 से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
6.	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–4ग) from four-C (एफ0एल0–2ए, एफ0एल0–9/92 से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
7.	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–5क) from Five-A (जनपद के आबकारी निरीक्षकों द्वारा पकड़े गये उल्लंघन/निस्तारण/प्रशमन से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
8	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–5ख) from Five-B (जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पकड़े गये उल्लंघन/निस्तारण/प्रशमन से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
9	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–छः) from -C (आबकारी निरीक्षक द्वारा पकड़े गये/न्यायालय भेजे गये अभियोगों के निस्तारण/सजा से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून

संख्याः1779–91 / आठ–लेखा / प्रारूप–2 / 2001–2002 / दिनांकः मई 17, 2002

समस्त जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तरांचल

विषयः राजस्व प्राप्ति सम्बन्धी सूचनायें निर्धारित प्रारूप में समयान्तर्गत प्रेषित करने के संबंध में।

आपको निर्धारित प्रारूप में उनके सम्मुख निर्धारित तिथि में मांग / वसूली एवं राजस्व के मासिक विवरण पत्र प्रेषित करने के लिए समय–समय पर निर्देश दिये जा चुके हैंः–

1. सांख्यिकी प्रारूप 1 व 2	प्रत्येक माह की 10 तारीख तक
2. मांग वसूली / बकाया का प्रपत्र–3	तदैव
3. मदिरा के उठान का प्रपत्र–5	तदैव
4. एफ0एल0–2 द्वारा दी गयी निकासी की सूचना प्रपत्र–6	प्रत्येक माह की 10 तारीख तक
5. राजस्व प्राप्ति का प्रपत्र–7	प्रत्येक माह की 21 तारीख तक अगले माह की 1 तारीख

प्रत्येक प्रारूप में यथा आवश्यक संशोधन उपरान्त प्रारूप की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनायें निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रायः यह पाया गया है कि अधिकांश जनपदों से सूचनायें समयान्तर्गत प्रेषित नहीं की जा रही हैं जिस कारण सूचनायें दूरभाष पर प्राप्त की जाती हैं। यह प्रवृत्ति कदाचित असंतोषजनक है। अतः आप सुनिश्चित कर लें कि यदि निर्धारित अवधि में आपके द्वारा सूचनायें प्रेषित नहीं की जाती हैं तो इस विलम्ब के लिए आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

(धीरेन्द्र वर्मा)
संयुक्त आबकारी आयुक्त
कृते आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्याः 1792–1804 / आठ–लेखा / प्रारूप–2 / 2001–2002 / तद्दिनांक
प्रतिलिपिः समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(धीरेन्द्र वर्मा)
संयुक्त आबकारी आयुक्त
कृते आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्याः8045–57 / सात–लाईसेंस– / 2005–06 / समयसारणी–अनुज्ञा,

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

देहरादूनःदिनांकःजनवरी 31,2006

विषयः– **जनपद में कार्यरत अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन / नवीनीकरण के सम्बन्ध में निर्धारित समयसारिणी के अनुसार कार्यवाही समपादित कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आबकारी मैनुअल खण्ड–प्रथम के नियम–332में आबकारी अनुज्ञापनों की समयावधि एक वर्ष (अर्थात 1अप्रैल से 31 मार्च तक) के लिए दी गयी है। अतःसभी थोक /फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों व आसवनी / बाटलिंग प्लान्ट / फार्मेसी के अनुज्ञापनों के वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु नवीनीकरण के प्रार्थना–पत्र दिनांक 28 फरवरी 2006 तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र के साथ वर्ष 2005–06 हेतु निर्धारित टैक्स स्ट्रैक्चर के अनुसार फीस का चालन संलग्न होना चाहिए। सभी अनुज्ञापियों से इस सम्बन्ध में एक अण्डरटेकिंग ले ली जाय कि वित्तीय वर्ष 2006–07में यदि अनुज्ञापनों की लाईसेंस फीस आदि में कोई वृद्धि होती है तो सम्बन्धित अनुज्ञापियों द्वारा उसका अनुपालन किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु विभिन्न देशी / विदेशी मदिरा के उत्पादन / थोक व फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन / नवीनीकरण आदि के सम्बन्ध में समयबद्ध / निर्धारित समय सारणी इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि अपने जनपद में कार्यरत अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन / नवीनीकरण के सम्बन्धम निर्धारित समयसारिणी के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने के कष्ट करें।

क्रं0 सं0	देशी / विदेशी मदिरा के उत्पादन ईकाईयों		
	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि तक
1	आसवनी के पी0डी0–2 अनुज्ञापन का नवीनीकरण	28.2.2006	25.03.2006
2	ब्रुवरी के बी0–1 अनुज्ञापन	28.2.2006	25.03.2006
3	विन्टनरी वी–1अनुज्ञापन	28.2.2006	25.03.2006
4	एफ0एल0–1एफ0एल0–3 अनुज्ञापन का नवीनीकरण	28.02.2006	25.03.2006
5	डी0एस0–1अनुज्ञापन के नवीनीकरण	28.02.2006	25.03.2006
6	एफ0एल0एम0–3(बाटलिंग प्लान्ट)	28.02.2006	25.03.2006

देशी / विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन

क्रं0 सं0	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि तक
1	सी0एल0–1 अनुज्ञापन	28.02.2006	25.03.2006
2	एफ0एल0–2अनुज्ञापन	28.02.2006	25.03.2006
3	बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2 / 2बी बाण्ड	28.02.2006	25.03.2006

बार / बीयर बार / क्लब बार

क्रं0 सं0	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि तक
1	एफ0एल0–6(सम्मिश्र) / एफ0एल0–7	28.02.2006	25.03.2006
2	एफ0एल0–7बी / एफ0एल0–7सी	28.02.2006	25.03.2006

सैनिक यूनिट के अनुज्ञापन

क्रं0 सं0	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि तक
1	एफ0एल0–9 / एफ0एल0–9ए	28.02.2006	25.03.2006

डिनेचर्ड स्प्रिट के अनुज्ञापन

क्रं0 सं0	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि तक
1	एफ0एल0–16 / एफ0एल0–17	28.02.2006	25.03.2006

औद्योगिक ईकाईयें का अनुज्ञापन

क्रं0 सं0	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि तक
1	एफ0एल0–39 / एफ0एल0–40 / एफ0एल0–41	28.02.2006	25.03.2006

एम0एन0टी0पी0एक्ट के अनुज्ञापन

क्रं0 सं0	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि तक
1	एल0–1 / एल–2 / एन0डी0एल0डी0	28.02.2006	25.03.2006

जिला आबकारी अधिकारी अपने कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को 05 दिन के भीतर जिलाधिकारी के सम्मुख अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगें तथा जिलाधिकारी अपने स्तर से 05 दिवस के भीतर आबकारी आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय से नवीनीकृत होने वाले अनुज्ञापनें से सम्बन्धित) 10

मार्च 2006 तक अपनी आख्या प्रेषित करेंगें। दिनांक 1 अप्रैल 2006 को वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए नवीनीकृत अनुज्ञापनों को ही बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

भवदीय,

(नवीन चन्द शर्मा)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

संख्याः8058–71 / सात–लाईसेंस– / 2005–06 / समयसारणी–अनुज्ञाः दिनांकः यथोक्त।

प्रतिलिपि समस्त जिला आबकारी अधिकारी,उत्तरांचल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने जनपद में वर्तमान में कार्यरत स्वीकृत समस्त आबकारी अनुज्ञांपनों की श्रेणीवार नाम व संख्या की सूची दिनांक 10.02.2006 तक आयुक्तालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(नवीन चन्द शर्मा)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

संख्या –2409–2421 /सात–लाईसेंस/2007–08/समयसारणी–अनुज्ञा

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः जनवरी, 31 ,2007

विषयः–जनपद में कार्यरत अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन/नवीनीकरण के संबंध में निर्धारित समयसारिणी के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आबकारी मैनुअल खण्ड–प्रथम के नियम–332 में आबकारी अनुज्ञापनों की समयावधि एक वर्ष (अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के लिए दी गयी हैं। अतः सभी थोक/फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों व आसवनी/बाटलिंग प्लान्ट/फार्मेसी के अनुज्ञापनों के वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु नवीनीकरण के प्रार्थना–पत्र दिनांक 28, फरवरी, 2007 तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र के साथ वर्ष 2006–07 हेतु निर्धारित टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार फीस का चालान संलग्न होना चाहिए। सभी अनुज्ञापियों से इस संबंध में एक अण्डरटेकिंग ले ली जाय, कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में यदि अनुज्ञापनों की लाईसेंस फीस आदि में कोई वृद्धि होती है, तो संबंधित अनुज्ञापियों द्वारा उसका अनुपालन किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विभिन्न देशी/विदेशी मदिरा के उत्पादन/थोक व फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन/नवीनीकरण आदि के संबंध में समयबद्ध/निर्धारित समय सारिणी इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि अपने जनपद में सभी कार्यरत अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन/नवीनीकरण के संबंध में निर्धारित समयसारिणी के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

क्र०सं०	देशी/विदेशी मदिरा के उत्पादन ईकाईयों		
	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	आसवनी के पी०डी०–2 अनुज्ञापन का नवीनीकरण	28.02.2007	26.03.2007
2	ब्रुवरी के बी०–1 अनुज्ञापन	28.02.2007	26.03.2007
3	विन्टनरी वी०–2 अनुज्ञापन	28.02.2007	26.03.2007
4	एफ०एल०–3/एफ०एल०–3ए/ एफ०एल०–3बी० अनुज्ञापन का नवीनीकरण	28.02.2007	26.03.2007
5	डी०एस०–1 अनुज्ञापन के नवीनीकरण	28.02.2007	26.03.2007
6	एफ०एल०एम०–3(बाटलिंग प्लान्ट)	28.02.2007	26.03.2007

देशी / विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन

क्र०सं०	देशी / विदेशी मदिरा के उत्पादन ईकाईयों		
	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	सी०एल०–1 अनुज्ञापन	28.02.2007	26.03.2007
2	एफ०एल०–1 / एफ०एल०–2 / एफ०एल०–2ए अनुज्ञापन	28.02.2007	26.03.2007
3	बी०डब्यू०एफ०एल०–2 / 2बी / बी०डब्यू०एफ०एल०(W) / बी०डब्यू०एफ०एल०(S)बाण्ड।	28.02.2007	26.03.2007

बार / बीयर बार / क्लब बार

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	एफ०एल०–6 (सम्मिश्र) / एफ०एल०–7	28.02.2007	26.03.2007
2	एफ०एल०–7 बी / एफ०एल०–7 सी	28.02.2007	26.03.2007

सैनिक यूनिट के अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	एफ०एल०–9 / एफ०एल०–9ए	28.02.2007	26.03.2007

डिनेचर्ड स्प्रिट के अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	एफ०एल०–16 / एफ०एल०–17	28.02.2007	26.03.2007

औद्योगिक ईकाईयों का अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	एफ०एल०–39 / एफ०एल०–40 / एफ०एल०–41	28.02.2007	26.03.2007

एम०एन०टी०पी०एक्ट के अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	एल०–1 / एल०–2 / एन०डी०एल०डी०	28.02.2007	26.03.2007

जिला आबकारी अधिकारी अपने कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को 05 दिन के भीतर जिलाधिकारी के सम्मुख अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगें तथा जिलाधिकारी अपने स्तर से 05 दिवस के भीतर आबकारी आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय से नवीनीकृत होने वाले अनुज्ञापनों से संबंधित) 10 मार्च,2007 तक अपनी आख्या प्रेषित करेंगें। इसके अतिरिक्त जनपद में कार्यरत अन्य आबकारी अनुज्ञापनों के संबंध में भी नवीनीकरण की नियमानुसार कार्यवाही समयावधि में कर ली जाय। 01 अप्रैल, 2007 को वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिये नवीनीकृत अनुज्ञापनो को ही बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी),
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या –2422–2434 / सात–लाईसेंस– / 2007–08 / समयसारणी–अनुज्ञा / तद्दिनांक
प्रतिलिपि समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने जनपद में वर्तमान में कार्यरत स्वीकृत समस्त आबकारी अनुज्ञापनों की श्रेणीवार नाम व संख्या की सूची दिनांक 10.02.2007 तक आयुक्तालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(हरिश्चन्द्र जोशी),
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या –4352–65 /सात–लाईसेंस–टैक्स–2/2008–09/समयसारणी–अनुज्ञा

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः फरवरी, 12 ,2008

विषयः–जनपद में कार्यरत अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन/नवीनीकरण के संबंध में निर्धारित समयसारिणी के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आबकारी मैनुअल खण्ड–प्रथम के नियम–332 में आबकारी अनुज्ञापनों की समयावधि एक वर्ष (अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के लिए दी गयी हैं। अतः सभी थोक/फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों व आसवनी/बाटलिंग प्लान्ट/फार्मेसी के अनुज्ञापनों के वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु नवीनीकरण के प्रार्थना–पत्र दिनांक 28, फरवरी, 2007 तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र के साथ वर्ष 2007–08 हेतु निर्धारित टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार फीस का चालान संलग्न होना चाहिए। सभी अनुज्ञापियों से इस संबंध में एक अण्डरटेकिंग ले ली जाय, कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में यदि अनुज्ञापनों की लाईसेंस फीस आदि में कोई वृद्धि होती है, तो संबंधित अनुज्ञापियों द्वारा उसका अनुपालन किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विभिन्न देशी/विदेशी मदिरा के उत्पादन/थोक व फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन/नवीनीकरण आदि के संबंध में समयबद्ध/निर्धारित समय सारिणी इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि अपने जनपद में सभी कार्यरत अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन/नवीनीकरण के संबंध में निर्धारित समयसारिणी के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

क्र०सं०	देशी/विदेशी मदिरा के उत्पादन ईकाईयों		
	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	आसवनी के पी०डी०–2 अनुज्ञापन का नवीनीकरण	28.02.2008	26.03.2008
2	ब्रुवरी के बी०–1 अनुज्ञापन	28.02.2008	26.03.2008
3	विन्टनरी वी०–2 अनुज्ञापन	28.02.2008	26.03.2008
4	एफ०एल०–3/एफ०एल०–3ए/ एफ०एल०–3बी० अनुज्ञापन का नवीनीकरण	28.02.2008	26.03.2008
5	डी०एस०–1 अनुज्ञापन के नवीनीकरण	28.02.2008	26.03.2008
6	एफ०एल०एम०–3(बाटलिंग प्लान्ट)	28.02.2008	26.03.2008

देशी / विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन

क्र०सं०	देशी / विदेशी मदिरा के उत्पादन ईकाईयों		
	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	सी०एल०–2 अनुज्ञापन	28.02.2008	26.03.2008
2	एफ०एल०–1 / एफ०एल०–2 / एफ०एल०–2ए अनुज्ञापन	28.02.2008	26.03.2008
3	बी०डब्यू०एफ०एल०–2 / 2बी / बी०डब्यू०एफ०एल०(W) / बी०डब्यू०एफ०एल०(S)	28.02.2008	26.03.2008

बार / बीयर बार / क्लब बार

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	एफ०एल०–6 (सम्मिश्र) / एफ०एल०–7	28.02.2008	26.03.2008
2	एफ०एल०–7 बी / एफ०एल०–7 सी	28.02.2008	26.03.2008

सैनिक यूनिट के अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	एफ०एल०–9 / एफ०एल०–9ए	28.02.2008	26.03.2008

डिनेचर्ड स्प्रिट के अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	एफ०एल०–16 / एफ०एल०–17	28.02.2008	26.03.2008

औद्योगिक ईकाईयों का अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	एफ०एल०–39 / एफ०एल०–40 / एफ०एल०–41	28.02.2008	26.03.2008

एम०एन०टी०पी०एक्ट के अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	नवीनीकरण करने की तिथि
1	एल०–1 / एल०–2 / एन०डी०एल०डी०	28.02.2008	26.03.2008

जिला आबकारी अधिकारी अपने कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को 05 दिन के भीतर जिलाधिकारी के सम्मुख अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगें तथा जिलाधिकारी अपने स्तर से 05 दिवस के भीतर आबकारी आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय से नवीनीकृत अनुज्ञापनों से संबंधित) 10 मार्च,2008 तक अपनी आख्या प्रेषित करेंगें। इसके अतिरिक्त जनपद में कार्यरत अन्य आबकारी अनुज्ञापनों के संबंध में भी नवीनीकरण नियमानुसार कार्यवाही समयावधि में कर ली जाय। 01 अप्रैल, 2008 को वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये नवीनीकृत अनुज्ञापनो को ही बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह),
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या –6366–78 / सात–लाईसेंस–टैक्स–2 / 2008–09 / समयसारणी–अनुज्ञा / तद्दिनांक
प्रतिलिपि समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने जनपद में वर्तमान में कार्यरत स्वीकृत समस्त आबकारी अनुज्ञापनों की श्रेणीवार नाम व संख्या की सूची दिनांक 10.02.2008 तक आयुक्तालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डा० रणबीर सिंह),
आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।

संख्या 5982–94 / सात–लाईसेंस–टैक्स–2 / 2009–10 / समयसारणी–अनुज्ञा0

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः मार्च 02 ,2009

विषयः– <u>जनपद में कार्यरत अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन / नवीनीकरण के संबंध में निर्धारित समयसारिणी के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कराये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

आबकारी मैनुअल खण्ड–प्रथम के नियम–332 में आबकारी अनुज्ञापनों की समयावधि एक वर्ष (अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के लिए दी गयी हैं। अतः सभी थोक / फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों व आसवनी / बाटलिंग प्लान्ट / फार्मेसी के अनुज्ञापनों के वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु नवीनीकरण के प्रार्थना–पत्र दिनांक 28, फरवरी, 2009 तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र के साथ वर्ष 2009–10 हेतु निर्धारित टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार फीस का चालान संलग्न होना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु विभिन्न अनुज्ञापनों के नवीनीकरण / अगसारण आदि के संबंध में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि अपने जनपद में सभी कार्यरत अनुज्ञापनों के नवीनीकरण / अग्रसारण के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें:–

क्र०सं०	देशी / विदेशी मदिरा के उत्पादन ईकाईयों	
	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
1	आसवनी के पी०डी०–2 अनुज्ञापन का नवीनीकरण	28.02.2009
2	ब्रुवरी के बी०–1 अनुज्ञापन	28.02.2009
3	विन्टनरी वी०–2 अनुज्ञापन	28.02.2009
4	एफ०एल०–3 / एफ०एल०–3ए / एफ०एल०–3बी० अनुज्ञापन का नवीनीकरण	28.02.2009
5	डी०एस०–1 अनुज्ञापन के नवीनीकरण	28.02.2009
6	एफ०एल०एम०–3(बाटलिंग प्लान्ट)	28.02.2009

7	एफ0एल0–1	28.02.2009

बार / बीयर बार / क्लब बार

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
1	एफ०एल०–6 (सम्मिश्र) / एफ०एल०–7	28.02.2009
2	एफ०एल०–7 बी / एफ०एल०–7 सी	28.02.2009

सैनिक यूनिट के अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
1	एफ०एल०–9 / एफ०एल०–9ए / एफ0एल0–2ए	28.02.2009

डिनेचर्ड स्प्रिट के अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
1	एफ०एल०–16 / एफ०एल०–17	28.02.2009

औद्योगिक ईकाईयों का अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
1	एफ०एल०–39 / एफ०एल०–40 / एफ०एल०–41	28.02.2009

एम०एन०टी०पी०एक्ट के अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
1	एल०–1 / एल०–2 / एन०डी०एल०डी०	28.02.2009

शासन / आबकारी आयुक्त के स्तर नवीनीकृत / अनुमोदित किये जाने वाले अनुज्ञापनों को जिला आबकारी अधिकारी अपने कार्यालय में आवेदन पत्रों को प्राप्त कर 05 दिन के भीतर जिलाधिकारी के सम्मुख अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगें तथा जिलाधिकारी अपने स्तर से 05 दिवस के भीतर आबकारी आयुक्त कार्यालय को 10 मार्च, 2009 तक अपनी आख्या प्रेषित करेंगें। इसके अतिरिक्त जनपद में कार्यरत अन्य आबकारी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण 25 मार्च ,2009 तक कर लिया जाय। 01 अप्रैल, 2009 को वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये नवीनीकृत अनुज्ञापनो को ही बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाय। सी0एल0–2, एफ0एल0–2 / 2बी तथा बाण्डस् के अनुज्ञापन के विषय में वर्ष 2009–10 की नीति / निर्देश के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।

भवदीय

(डा०रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या /सात–लाईसेंस– टैक्स–2 / 2008–09 / समयसारणी–अनुज्ञा / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त जिला आबकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने जनपद से सम्बन्धित अनुज्ञापनों के नवीनीकरण/अग्रसारण की कृत कार्यवाही तथा अनुज्ञापनों की श्रेणीवार नाम व संख्या सहित सूची दिनांक 28.02.2009 तक आयुक्तालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डा०रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या 17 : ऐसी अन्य सूचना जो विहित हो और जो पिछले अध्याये में सम्मिलित न की गयी हो :–

वर्तमान में विभागीय मुख्यालय हेतु जो भी कार्य दिये गये हैं उसका विस्तृत विवरण 1 से 16 मैनुअलों में विभिन्न स्वरूपों में दिया गया है। राज्य में विभाग द्वारा प्रवर्तित अधिनियमों/नियमावलियों के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न अनुज्ञापनों एवं तद्सम्बन्धित विवरणों की सूची निम्नवत् है–

1 आबकारी अधिनियम नियमों के अन्तर्गत	
परिशिष्ट	**विवरण**
1	आसवनियां (पी0डी0–2)
2	ब्रिवरीज
3	विन्टरीज
4	विदेशी मदिरा भराई प्लान्ट (एफ0एल0एम0–3)
5	बंधित आबकारी गोदाम/डिपो (देशी मदिरा)
6	देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (सी0एल0–5डी) **परिशिष्ट– 6(1) से 6 (8)**
7 (ए)	विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एम0एल0–1)
7 (बी)	विदेशी मदिरा की भराई हेतु अनुज्ञापन (एफ0एल0–3)
8	विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2)
9	विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2ए)
10	विदेशी मदिरा के थोक बांड अनुज्ञापन (बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2)
11	विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2बी)
12	विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (एफ0एल0–5डी) **परिशिष्ट 12(1) से 12(13)**
13	विदेशी मदिरा के होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापन (एफ0एल0 6–7)
14	विदेशी मदिरा के क्लब बार अनुज्ञापन (एफ0एल0–7सी)

15	विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (मिलेट्री कैन्टीन) (एफ0एल0–9, 9ए)
16(ए)	विशेष विकृत सुरा से सम्बन्धित अनुज्ञापन (एफ0एल0–39, 40, 41)
16(बी)	इथेनोल ब्लेन्डेड पेट्रोल (गैसोहाल) से सम्बन्धित अनुज्ञापन–एफ0एल0–41
17	भांग के संख्या केन्द्र अनुज्ञापन आई0डी0 (15–16)
2– नारकोटिक्स एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत	
1	एन0डी0 एल0डी0 अनुज्ञापन
2	एन0डी0सी0
3	एन0डी0पी0एस0 (पोस्ट डोडा), एन0डी0पी0एस0 (पोस्ट डोडा)–1, एन0डी0पी0एस0 (पोस्ट डोडा)–2,
4	एम0एन0टी0पी0ए0 (मेडिश्नल एण्ड टॉयलेट प्रिपरियेशन एक्ट) के अन्तर्गत पार्ट टाइम एल0–1
4–शीरा अधिनियम से सम्बन्धित	
1 (अ+ब)	राज्य में वैक्यूम पैन पद्धति से शीरा उत्पादन करने वाली चीनी मिलें

परिशिष्ट–1 (अ)

आसवनियां (पी0डी0–2)

राज्य में तीन आसवनियां स्थित हैं जिनकी अधिष्ठापन क्षमता

(वर्ष 2006–07, 2007–2008 व 2008–2009 तक की स्थिति)

क0सं0	आसवनी का नाम	स्वीकृत अधिष्ठापन क्षमता	किन–किन आसवों का उत्पादन किया जाता है
1	दून वैली आसवनी	38.00 लाख बी0एल0, पेय मदिरा 20.50 लाख बी0एल0 अपेय मदिरा 17. 50 लाख बी0एल	1. रेक्टिफाईड स्प्रिटः– देशी विदेशी मदिरा 2. विकृत सुरा, विशेष विकृत सुरा 3. ई0एन0ए0 के निर्माणार्थ प्लान्ट स्थापना की अनुमति दी गयी
2	बाजपुर आसवनी	150.00 लाख बी0एल0 अलग–अलग निर्धारण नहीं	1. रेक्टिफाईड स्प्रिटः– देशी विदेशी मदिरा 2. विकृत सुरा, विशेष विकृत सुरा 3 ई0एन0ए0–5 हजार बी0एल0 प्रतिदिन निर्माण की अनुमति है।
3	आई0जी0एल0 काशीपुर	803.9 लाख बी0एल0 पेय मदिरा–180.00 लाख बी0एल0 अपेय मदिरा–623.9 लाख बी0एल0	1. रेक्टिफाईड स्प्रिट/ई0एन0ए0 देशी –विदेशी मदिरा 2. विशेष विकृत सुरा (विविध रसायन) एम0ई0जी0, डी0ई0जी0 ई0ओ0 कन्डेट सेट आदि।

परिशिष्ट–1 (ब)

आसवनियां (पी0डी0–2)

राज्य की आसवनियों में विगत तीन वर्षो में अल्कोहल का उत्पादन

क0 सं0.	आसवनी का नाम	वर्ष 2006–07	वर्ष 2007–08	वर्ष 2008–09
1	दून वैली आसवनी	113970416.10	140315815.70	78072252.40
2	बाजपुर आसवनी	2590474.40	2436705.10	2344577.7
3	आई0जी0एल0 काशीपुर	5427828.40	4513149.00	2689261.8
	योग	**121988718.90**	**147265669.80**	**83106091.90**

परिशिष्ट–2

ब्रिवरीज

राज्य में केवल एक ब्रिवरी स्थापित है।

क0सं0	ब्रिवरीज का नाम	स्थान व जनपद जहां अवस्थित है
1	मैसर्स दून वैली ब्रिबरीज	औरंगजेबपुर रूडकी,जनपद हरिद्वार

परिशिष्ट–3

विन्टनरीज

राज्य में वर्तमान में दो अनुज्ञापन स्वीकृत है।

क0 सं0	विन्टनरीज का नाम	स्थान व जनपद जहां अवस्थित है	वर्ष		
1	मै0 बायोटेक एण्ड फूड सिस्टम प्रा0लि0	रामगढ़, जनपद नैनीताल।	2006–2007	2007–2008	2008–2009
2	मै0 उत्तम विन्टनरीज प्रा0लि0	लिब्बरहेड़ी रूड़की, जनपद हरिद्वार।			

परिशिष्ट–4

विदेशी मदिरा भराई प्लांट (एफ0एल0एम0–3)

राज्य में वर्तमान में दो अनुज्ञापन स्वीकृत है।

क0 सं0	अनुज्ञापन का नाम	स्थान व जनपद जहां अवस्थित है	क्षमता (वार्षिक बोतल भराई)	लाईसेंस फीस 2006–07	लाईसेंस फीस 2007–08	लाईसेंस फीस 2008–09
1	मैसर्स गोल्डमैन डिस्टलरीज (A Unit of Kamdhenu Ghee Ltd.)	मोहब्बेवाला, जनपद देहरादून।	15 लाख बोतल तक	836482	836482	920000
2	मैसर्स रेडिको खेतान लि0 (A Unit of Rampur Distilary)	बाजपुर इण्डस्ट्रियल बाजपुर ऊधमसिंहनगर	50 लाख बोतल तक 75 लाख बोतल तक	2509444 –	 3800000	 4180000

संयुक्त आयुक्त

28/01/13

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग

संख्या 57/XXIII/2013/04(54)/2012
देहरादूनः दिनांकः 23 जनवरी, 2013

24/1/13

(दिलीप जावलकर)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन्, 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य में फल आधारित उद्योगों हेतु विन्टनरी स्थापित किये जाने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है :–

1. विन्टनरी की स्थापना हेतु अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए वी–1 अनुज्ञापन शुल्क ₹ 5,000/– होगा।
2. वाईन बनाने हेतु दिये जाने वाले वी–2 अनुज्ञापन के लिए शुल्क ₹ 5,000/होगा।
3. विन्टनरी निर्माण (वी–1) लाइसेन्स प्रदान करने हेतु अनुज्ञापन निर्गत करने की समय सीमा आवेदन किये जाने की तिथि से 30 दिन होगी।
4. प्रबलीकरण (Fortification) हेतु मिश्रित करने वाली स्प्रिट या ब्राण्डी विन्टनरी परिसर के बाहर से आयात न कर उक्त न्यूट्रल स्प्रिट/वाईन का सम्बन्धित विन्टनरी परिसर में ही उत्पादन कर उपयोग किया जायेगा।
5. विन्टनरी में नियुक्त आबकारी विभाग के कार्मिकों के कुल देय, विन्टनरी द्वारा राज्य में की गयी कुल निकासी पर देय आबकारी राजस्व के 10 प्रतिशत से अधिक होने पर उक्त अतिरिक्त धनराशि विन्टनरी द्वारा दिये जाने की व्यवस्था में शिथिलता देते हुये विन्टनरी की स्थापना के वर्ष से आगामी 10 वर्षों तक छूट प्रदान की जायेगी।
6. उत्तराखण्ड राज्य में विन्टनरी हेतु एफ0 एल0–03 अनुज्ञापन शुल्क न्यूनतम ₹ 10,000/– के अधीन रहते हुए, एक वर्ष या उसके भाग के लिए बाटलिंग फीस निम्नलिखित धारिता की बोतलों में निम्नलिखित दर से उद्गृहीत की जायेगी :–

धारिता		बाटलिंग फीस
750 ml	-	₹ 0.50
375 ml	-	₹ 0.25
180 ml	-	₹ 0.15
90 ml	-	₹ 0.10
50 ml	-	₹ 0.05

7. उत्तराखण्ड राज्य में विन्टनरी हेतु एफ0 एल0–01 अनुज्ञापन शुल्क ₹ 10,000/– प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए होगा।

क्रमशः.....2

Scanned with CamScanner

8. उत्तराखण्ड राज्य में निर्मित वाईन हेतु एफ0 एल0–02 डब्लू अनुज्ञापन शुल्क ₹ 10,000/– होगा एवं एफ0 एल0–2 अनुज्ञापन पर ली जाने वाली लाईसेंस फीस एक्स वाईनरी प्राइज की 2 प्रतिशत होगी।

9. उत्तराखण्ड राज्य में निर्मित वाईन हेतु एक्साइज ड्यूटी ₹ 5 प्रति बल्क ली०, निर्यात शुल्क ₹ 0.05 प्रति बल्क ली० व मूल्यवर्धित कर (वैट) 5 प्रतिशत होगा।

10. उत्तराखण्ड राज्य में वाईन उद्योग को बढ़ावा दिये जाने हेतु रिटेल काउण्टर खोलने की वर्तमान व्यवस्था को अधिक सुगम किये जाने हेतु विन्टनरी अनुज्ञापी को उसकी मांग के अनुसार प्रत्येक जनपद में उत्तराखण्ड राज्य में निर्मित वाईन के फुटकर अनुज्ञापन तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर, जिसकी ग्रोसिरी की वार्षिक बिक्री का टर्नओवर ₹ 5,00,000/– से ऊपर है तथा वह व्यापार कर विभाग में रजिस्टर्ड हो, को वाईन की बिक्री के अनुज्ञापन जिलाधिकारी के स्तर से स्वीकृत किये जायेंगे। ऐसे अनुज्ञापनों की लाईसेन्स फीस ₹ 5,000/– वर्ष या वर्ष के भाग के लिये होगी तथा यह भी प्रतिबन्ध होगा कि उपरोक्त दोनों प्रकार के अनुज्ञापनों में केवल सील बन्द बोतलों की बिक्री ही अनुमन्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त सैनिक कल्याण विश्राम गृह, उत्तराखण्ड राज्य सरकार के उपक्रम यथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम जो कि पर्यटन व्यवसाय से जुडे है, को इनके बिक्री केन्द्रों (Souvenir Shops) में सील बन्द बोतलों में तथा अपने पर्यटक आवास गृह से उत्तराखण्ड में निर्मित वाइन की बिक्री हेतु ₹5,000/– प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञापन शुल्क पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित सैनिक कल्याण विश्राम गृह एवं पर्यटक आवास गृह के लिए ₹ 5,00,000/–मात्र की वार्षिक बिक्री के टर्नओवर का प्रतिबन्ध लागू नही होगा।

फुटकर दुकानों (वाईन) के निर्धारण में दुकानों की संख्या व स्थित नियमावली,1968 तत्सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–311/XXIII/2008/18 2008/देहरादून, दिनांकः 16.6.2008 तथा तत्समय लागू समस्त नीति/नियम का पालन करना बाध्यकारी होगा।

विन्टनरी उद्योग की स्थापना मद्य निषेध क्षेत्रों में नहीं की जायेगी।

विन्टनरी परिसर में वाइन टूरिज्म को बढ़ावा दिये जाने हेतु विन्टनर के आवेदन पर वाईन की सील बन्द बोतलों की बिक्री तथा पिलाये जाने की सुविधा जिलाधिकारी द्वारा दी जायेगी तथा उक्त हेतु अनुज्ञापन शुल्क ₹ 10,000/–वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगा।

11. उत्तराखण्ड राज्य में विनिर्मित वाईन पर लेबल रजिस्ट्रेशन फीस ₹ 100/–होगी। वाईन की बोतलों में लगाये जाने वाला लेबल उत्तर प्रदेश बॉटलिंग ऑफ फॉरन लिकर रूल्स–1969 में दी गयी व्यवस्था तथा इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–434/देहरादून, दिनांकः 19.4.2001 के अनुसार होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त वाईन की बोतलों के लेबल पर "फल का नाम" (जिससे वाईन निर्मित हुयी हो) व "उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित फलों से विनिर्मित" का अंकन होना अनिवार्य होगा।

क्रमशः.....

Scanned with CamScanner

12. उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित वाईन पर असेस्मेन्ट शुल्क ₹ 1/–प्रति (750 एम0एल0 मानक) बोतल देय होगा ।

13. उपरोक्त प्रस्तावित शुल्क/टैक्स आगामी 5 वर्ष हेतु निर्धारित है, इस समयावधि के भीतर उपरोक्त प्रस्तावित शुल्क/टैक्स अपरिवर्तनीय रहेंगे, तथा विन्टनरी नीति उक्त सीमा तक आबकारी नीति वर्ष, 2012–13 के प्राविधानों को अतिक्रमित करेगी।

14. पर्वतीय क्षेत्रों में विन्टनरी उद्योग को बढावा दिये जाने हेतु प्रस्तावित नीति में उल्लिखित शुल्क/फीस में (वैट एवं एक्साइज ड्यूटी को छोडकर) 50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। पर्वतीय क्षेत्रों का निर्धारण पर्वतीय उद्योग नीति के अनुसार होगा।

15. विन्टनरी उद्योग हेतु खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान व उद्योग विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा जारी समस्त योजनाएं उत्तराखण्ड के विन्टनर्स के लिए अनुमन्य होंगी, साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में विन्टनरी उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों हेतु लागू उद्योग नीति के अनुरूप सुविधाएं अनुमन्य होंगी

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या 57 (i)/XXIII/2012/04(54)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी जनपद–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से सुलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड़ देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
अपर सचिव

Scanned with CamScanner

316
29/1/13

संयुक्त आयुक्त

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या 59/XXIII/2013/04(52)/2012
देहरादूनः दिनांकः 29 जनवरी, 2013

29/1/2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य में माइक्रो पब ब्रुवरी स्थापित किये जाने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है :–

1. माइक्रो पब ब्रुवरी की स्थापना हेतु आवेदक का एफ0एल0–06(समिश्र)/एफ0एल0–07/एफ0एल0–07बी0 अनुज्ञापन धारक होना आवश्यक है तथा माइक्रो पब ब्रुवरी की स्थापना हेतु पात्रता शर्तें उक्त अनुज्ञापनों की शर्तों के ही समान होगी।

2. माइक्रो पब ब्रुवरी स्थापित करने हेतु आवेदक को सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम0बी0–19 में आवेदन करना होगा, जिसके साथ परियोजना आख्या (Project report) एवं तीन प्रतियों में नील पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर अपनी संस्तुति आख्या आबकारी आयुक्त को प्रेषित की जायेगी। आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड अपनी संस्तुति के साथ माइक्रो पब ब्रुवरी का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करेंगे। शासन की स्वीकृति/अनुमति के पश्चात आबकारी आयुक्त द्वारा एम0बी0–20 अनुज्ञापन जारी कर छः माह का समय माइक्रो पब ब्रुवरी की स्थापना हेतु दिया जायेगा, निर्धारित अवधि के पश्चात एम0बी0–20 अनुज्ञापी द्वारा प्रपत्र–एम0बी0–21 में जिलाधिकारी के माध्यम से माइक्रो पब ब्रुवरी की स्थापना पूर्ण होने की सूचना आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड को प्रेषित की जायेगी, जिसके आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा तकनीकी समिति से जांच कराये जाने के पश्चात एम0बी0–1 अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।

3. एम0बी0–1 अनुज्ञापन दिये जाने से पूर्व आवेदक द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होगी :–

   (क) माइको पब ब्रुवरी की अधिष्ठापित क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

   (ख) बीयर बनाने तथा उसकी निकासी के सम्बन्ध में प्रयुक्त किया जाने वाला प्रस्तावित भवन, पात्र, सयंत्र नियमानुसार बनाये गये हैं और आग से बचने के लिये सम्यक उपाय किये गये हैं, का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

29/1/13

अपर आयुक्त (लेखा)

उपायुक्त (लेखा)

29/1/2013
उत्तराखण्ड।

(ग) नियम 5 के अधीन विहित लाईसेंस फीस अग्रिम रूप से जमा किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

4. (i) आबकारी आयुक्त को राज्य की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये एम0बी0–20 व एम0बी0–01 लाईसेंस प्रदान करने और लाईसेंस हेतु प्राप्त आवेदन पत्र को अस्वीकार करने या प्रदत्त लाईसेंस का नवीनीकरण न करने की शक्ति उप नियम 4(ii) के प्राविधानों के अधीन निहित होगी।

(ii) लाईसेंस प्रदान करने या नवीनीकरण करने से इन्कार करने के आबकारी आयुक्त के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार को पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकेगा और सरकार मामले में ऐसा आदेश कर सकतीं है, जिसे वह उचित समझे।

5. माइक्रो पब ब्रुवरी (एम०बी०–1) अनुज्ञापन हेतु अनुज्ञापन शुल्क ₹ 10,000/– प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए लिया जायेगा, जो एफ०एल०–06(समिश्र)/एफ०एल०–07/एफ०एल०–07बी० बार अनुज्ञापन शुल्क के अतिरिक्त होगा।

6. एफ०एल०–06(समिश्र)/एफ०एल०–07/एफ०एल०–07बी० से पृथक एम०बी०–01 अनुज्ञापन का नवीनीकरण आबकारी आयुक्त स्तर से किया जायेगा। आगामी आबकारी वर्ष के लिए माइक्रो पब ब्रुवरी के लाईसेंस के नवीनीकरण का आवेदन पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।

7. माइक्रो पब ब्रुवरी में अनिष्ठकारक पदार्थों का उपयोग निषिद्ध होगा, आबकारी आयुक्त बीयर के विनिर्माण में किन्ही ऐसे पदार्थों का प्रयोग निषिद्ध कर सकते हैं, जो उनकी राय में हानिकारक प्रकृति के हों।

8. निरीक्षणकर्ता अधिकारी नमूने के विशलेषण हेतु बिना कोई भुगतान किये किसी बियर या उसके विनिर्माण में प्रयुक्त पदार्थों का नमूना ले सकते है।

9. माइक्रो पब ब्रुवरी मे 5 प्रतिशत वी/वी तीव्रता से अधिक तीव्रता की बीयर का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

10. माइक्रो पब ब्रुवरी पर उत्पाद शुल्क तत्समय आबकारी नीति/टैक्स स्ट्रैक्चर में निर्धारित कम तीव्रता की बीयर पर देय उत्पाद शुल्क के अनुरूप होगी, तथा उत्पाद शुल्क माइक्रो पब ब्रुवरी की दैनिक संस्थापित क्षमता के आधार पर अग्रिम रूप से लिया जायेगा।

क्रमशः.....

11. माइक्रो पब ब्रुवरी में वह सभी नियम भी लागू होंगे जो बार अनुज्ञापन हेतु आवश्यक एवं प्रचलन में होंगे।

12. आबकारी नियमों के मानक के अनुरूप क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक व उससे उच्च अधिकारी द्वारा माइक्रो पब ब्रुवरी का समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या 59 (I)/XXIII/2012/04(52)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिंखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी जनपद–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड़ देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः 791/XXIII/2013/04(02)/2013
देहरादूनः दिनॉकः 26 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना संख्या–779/XXIII/2013 दिनांक–26 दिसम्बर, 2013 द्वारा आबकारी नीति वर्ष 2013–14 में प्राविधानित प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेंटल स्टोर में विदेशी मदिरा की बिक्री के लिए आवेदन की पात्रता एवं प्रक्रिया निर्धारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी मदिरा के रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेंटल स्टोर के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2013 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 150 प्रतियां आबककारी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय केअवलोकनार्थ।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमॉऊ मण्डल।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक़ किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी विभाग
संख्याः 779 / XXIII / 2013 / 04(02) / 2013
देहरादूनः दिनाँकः 26 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–01, सन् 1904) की धारा 21 सपठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 04 सन् 1910) (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स / डिपार्टमेन्टल स्टोर के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली,2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स / डिपार्टमेन्टल स्टोर के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं 2. (1) मॉल्सः–

"शॉपिंग मॉल्स" से पूर्णतः आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण ईमारत या ईमारतों का समूह जो एक दूसरे से जुड़े हों, ग्राहकों की आवाजाही के लिए प्रर्याप्त स्थान उपलब्ध कराते हों एवं जिनके परिसर में ही पार्किंग के लिये पर्याप्त स्थान हो, के रूप में की जा सकती है, अभिप्रेत है;

(एक) "प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स" से परिसर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ऐसे कमर्शियल काम्पलैक्स जिनमें दुकानें एवं फूडकोर्ट सम्मिलित है, जिन्हें सामान्य बोल–चाल की भाषा में शॉपिंग मॉल कहा जाता है, अभिप्रेत है;

(दो) प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिग मॉल्स के लिये कम से कम 400 वर्ग फीट कार्पेट एरिया का परिसर आवश्यक होगा, जो मॉल की सामान्य रुप से निर्मित दुकान में होगा तथा क्योस्क (Kiosk) अथवा अस्थाई ढांचे (Temoprary Structure) में नहीं होगा। किसी मॉल में 15 दुकानों तक दो मदिरा की दुकानें व 15 दुकानों से अधिक होने पर अधिकतम 03 मदिरा की दुकानों को अनुज्ञापन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर दिया जा सकेगा।

(2) डिपार्टमेंटल स्टोर :–

डिपार्टमेंटल स्टोर से ऐसे स्टोर अभिप्रेत है, एक बडी दुकान तथा जिसमें अलग–अलग प्रकार के सामानों / वस्तुओं की बिक्री की जाती हो, जिन्हें सामान्य बोल–चाल की भाषा में डिपार्टमेंटल स्टोर कहा जाता हो एवं जिनके स्वयं के परिसर में ही पार्किंग की व्यवस्था हो।

(1) प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स डिपार्टमेंटल स्टोर के लिये कम से कम 1000 वर्ग फीट कार्पेट एरिया का परिसर आवश्यक होगा, जिसमें एक कार्यालय की व्यवस्था हो।

क्रमशः.....2

(3) **अधिनियम :–**

"अधिनियम" से समय–समय पर संशोधित संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) अभिप्रेत है;

(4) **विदेशी मदिरा :–**

"विदेशी मदिरा" से भारत में आयातित स्प्रिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्प्रिट या मदिरा जिससे कि वह सुगंध और रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य मालूम हो, से है और उसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, वोदका, मदिरा (लिक्यूअर) सम्मिलित है। इससे भारत या विदेश में निर्मित वाईन भी सम्मिलित अभिप्रेत है;

(5) **आबकारी वर्ष :–**

"आबकारी वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष के 01 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि अभिप्रेत है;

(6) **परिवार :–**

"परिवार" से दम्पत्ति (पति या पत्नी), पुत्र, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता–पिता अभिप्रेत है;

(7) **प्रपत्र–**

"प्रपत्र" से इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(8) **लाईसेंस प्राधिकारी –**

"लाईसेंस प्राधिकारी" से सम्बन्धित जिले का कलेक्टर अभिप्रेत है;

(9) **लाईसेंस फीस –**

"लाईसेंस फीस" से किसी प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स में विदेशी मदिरा के विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लाईसेंस प्रदान करने हेतु लाईसेंस फीस के रूप में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि रूपये 2,00,000/–(दो लाख) अभिप्रेत है;

(10) **राज्य :–**

"राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है।

फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन

3. इस नियमावली और प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर की लाइसेंस फीस की धनराशि के संदाय के अधीन रहते हुए लाइसेंसों का व्यवस्थापन निम्नवत किया जायेगा:–

(क) भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस प्रपत्र वि० म०–5(म)/5(डी०एस०) में स्वीकृत किया जायेगा।

(ख) लाइसेंस फीस सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके किसी भाग के लिये आबकारी आयुक्त समय–समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से अधिनियम की धारा 24–क के अधीन निर्धारित करेगा।

क्रमशः.....3

प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिग मॉल्स/ डिपार्टमेन्टल स्टोर के लिये आवेदन–पत्र

4. आवेदक प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/ डिपार्टमेन्टल स्टोर के लिये निर्धारित प्रपत्र जी–28 में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगा। ।

लाइसेंस की अवधि

5. लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष या उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, के लिये होगी। लाइसेंस का नवीनीकरण लाइसेंसधारी की सहमति से अगले आबकारी वर्ष या वर्ष के भाग के लिये ऐसे निबन्धन और शर्तों पर किया जा सकेगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।

लाइसेंस प्रदान किया जाना

6. इस नियमावली के अधीन नियत लाइसेंस फीस के संदाप पर लाइसेंस प्रदान किया जायेगा।

आवेदकनकर्ता हेतु पात्रता की शर्तें

7. (1) प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर के लाइसेंस के लिये आवेदक –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) कोई ऐसी कम्पनी हो जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत हो, या

(ग) कोई ऐसी भागीदारी फर्म हो जो भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीकृत हो, या

(घ) ऐसी कोई फर्म जो समिति पंजीकरण अधिनियम, 1965 के अधीन पंजीकृत हो, या

(ञ) कोई पंजीकृत एक मात्र स्वत्वधारी फर्म हो,

(क) आवेदनकर्ता की आयु 21 वर्ष से अधिक हो;

(ख) अधिनियम के अधीन बनायी गई किसी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंसधारण करने के लिये ऐसा व्यक्ति हो जो व्यतिक्रमी/काली सूची में न हो या विवर्जित न किया गया हो, परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति जो किसी आबकारी अपराध के लिये दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया जाय।

(ग) निम्नलिखित की पुष्टि में आवेदक पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक् रूप से अभिप्रमाणित शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:–

(एक) यह उसके पास समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार शॉपिंग मॉल/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स खोलने के लिये उपयुक्त परिसर की व्यवस्था है या उसके या परिसर के स्वामी का सहमति पत्र अथवा ऑफर अथवा पट्टा विलेख उसके पास उपलब्ध है।

क्रमशः.....4

(दो) यह कि उसकी दुकान का प्रस्तावित परिसर किसी विधि या तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में निर्मित नहीं है।

(तीन) यह कि उसका और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनिमय, 1910 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला जहां का वह निवासी है, के जिलाधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र लाइसेंस जारी होने के तीस दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगा कि उसका और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

(पांच) यह कि वह किसी ऐसे विक्रेता को नियोजित नहीं करेगा जिसकी उपरोक्त खण्ड (तीन) में उल्लिखित कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जो किसी संक्रामक या छुआ–छूत रोग से ग्रसित हो या उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो।

(छः) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।

(घ) यह कि आवेदक द्वारा जिला आबकारी अधिकारी या जिलाधिकारी के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी किया गया, रूपये 50,000/– की सावधि जमा (एफ0डी0आर0) प्रतिभूति धनराशि के रूप में प्रस्तुत कर दिया हो।

लाइसेंसधारी का चयन

8. जिला आबकारी अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों के आवश्यक सत्यापन के पश्चात् एक सूची तैयार करेगा और इन आवेदनों की सूची लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष रखेगा। लाइसेंस प्राधिकारी आवेदन पत्र पर यथावश्यक परीक्षण कराकर उक्त प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर के सृजन हेतु आबकारी आयुक्त को प्रस्ताव प्रेषित करेगा। आबकारी आयुक्त से नवसृजन की स्वीकृति प्राप्त होने पर नियत लाइसेंस फीस जमा कराकर आवेदक के पक्ष में तत्काल लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।

लाइसेंस फीस की धनराशि का जमा किया जाना

9. यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया किया जाता है, तो वह चयन की सूचना प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर नियत लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा कर देगा। यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन रद्द हो जायेगा और उसकी प्रतिभूति की धनराशि रू0 50,000/– राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी एवं उक्त आवेदक को काली सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

क्रमशः.....5

व्यवस्थित की गयी दुकान का विवरण

10. जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 10 दिन के भीतर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड को भेजेगा, जिसमें अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों के नाम व पते तथा जमा की गयी लाइसेंस फीस की जमा धनराशि का विवरण होगा।

विक्रीत की जाने वाली विदेशी मदिरा

11. लाइसेंसधारी राज्य द्वारा निर्धारित ई०डी०पी० रूपये 300/– (प्रतिमान्य क्वार्ट बोतल 750 एम०एल०) से अधिक की ई0डी0पी0 की मदिरा की बिक्री करेगा।

एफ०एल०–05(एम)/एफ०एल०–05 (डीएस) से किसी भी धारिता की बोतलों में बिक्री की जा सकेगी, रूपये 300/– प्रति बोतल (750 एम०एल०) ई०डी०पी० की गणना उक्त धारिता के 750 एम०एल० प्रति मान्य क्वार्ट बोतल के समतुल्य आधार पर की जायेगी। दुकान के परिसर में मदिरापान निषिद्ध होगा।

मदिरा का उठान

12 इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर भी सम्मिलित है, जो समय–समय पर उद्ग्रहीत किये जायें, करने के पश्चात् जनपद के थोक लाइसेंस धारक (वि0म0–2/2 डब्लू/2एस) अनुज्ञापी से विदेशी मदिरा/वाईन की आपूर्ति बारों को निर्धारित एम०जी०डी० दर पर प्राप्त कर सकेगा। अनुज्ञापी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो कि आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करायेगा। स्कॉच/वाईन के आयात हेतु उत्तराखण्ड में प्रचलित उत्तराखण्ड के अधिसूचित क्षेत्र में समुद्र पार विदेशी मदिरा का आयात (Import of Oversease Foreign Liquor in Scheduled areas in Uttranchal) से सम्बन्धित नियम प्रवृत्त होंगे।

विक्रय मूल्य

13 विदेशी शराब की बोतलों के लेबिलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम् फुटकर विक्रय मूल्य से कम दर पर मदिरा की बिक्री नहीं करेगा। अर्थात एफ0एल0–05(एम)/एफ0एल0–05(डीएस) में न्यूनतम् बिक्री मूल्य रहेगा।

मदिरा की बिक्री एवं बारकोड की व्यवस्था

14 प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर अनुज्ञापी यह सुनिश्चित करेगा कि शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हो जिसमें बारकोडिंग की व्यवस्था के साथ–साथ स्केनर की व्यवस्था आवश्यक होगी, जिससे कम्प्यूटर द्वारा भी दुकान के स्टॉक का रखरखाव व बिलिंग सुनिश्चित हो सके। एफ0एल0–05 (एम)/एफ0एल0–05(डी0 एस0) अनुज्ञापी बिलिंग काउन्टर के पास मदिरा विक्रय मूल्य की सूची आवश्यक रूप से लगायेगा तथा उसमें सभी ब्राण्डों की धारितावार विक्रय मूल्य अंकित करेगा।

बिक्री समय /दुकान बन्दी के दिवस

15. अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी(गणतंत्र दिवस) और लाइसेंस अधिकारी द्वारा बन्दी के लिये यथा अधिसूचित दिवसों के अतिरिक्त सभी दिनों में राज्य सरकार द्वारा बारों हेतु निर्धारित समय तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून व्यवस्था

क्रमश.....6

या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये सुसंगत कानूनों के प्रावधानों के अधीन "**प्रीमियम रिटेल वैण्डस**" शॉपिंग मॉल्स की बन्दी का आदेश दे सकेगा।

परन्तु यह कि प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/ डिपार्टमेन्टल स्टोर की बन्दी के लिये कोई प्रतिकर की धनराशि देय नहीं होगी।

लाइसेंस की अवधि की समाप्ति पर अविक्रीत स्टॉक

16. लाइसेंस अवधि समाप्ति पर अवशेष और अविक्रीत पाई गयी विदेशी मदिरा की मात्रा की घोषणा लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारी को लाइसेंस समाप्ति के अगले दिन की जायेगी। ऐसे स्टाक का निस्तारण आबकारी आयुक्त के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

लाइसेंस का अभ्यर्पण

17. कोई लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 36 के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी को न्यूनतम एक माह की लिखित नोटिस के पश्चात् अपना लाइसेंस अभ्यर्पित कर सकेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर लाइसेंस प्राधिकारी जमा प्रतिभूति से समस्त अवशेष आबकारी देयों की वसूली करने और आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त कर अधिशेष धनराशि वापस करने की कार्यवाही करेगा।

लाइसेंस का निलम्बन व निरस्तीकरण

18 (1) लाइसेंस प्राधिकारी,

(क) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई ऐसी बोतल पाई जाती है, जिस पर देय राजस्व का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित एक्साइज एडहेसिव लेबिल/सिक्योरिटी होलोग्राम नहीं लगा है;

(ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य मदिरा या मादक औषधि (जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है) पाई जाती है या कोई अन्य व्यवसाय करते हुये पाया गया है;

(ग) यदि अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के विरूद्ध अनुज्ञापी के कब्जे से कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है;

(घ) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ–पत्र त्रुटिपूर्ण तथा कथन असत्य पाया जाता है;

(ड.) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम के अधीन किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध या स्वापक औषधियॉ एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दोषसिद्ध किया गया है।

(च) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई ऐसी बोतल/कन्टेनर पाया जाता है जिस पर अधिकतम फुटकर मूल्य अंकित नहीं है एवं स्टीकर नहीं लगा पाया जाता है।

(छ:) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस असत्य नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से लाइसेंस धारण किये हुए हैं तो लाइसेंस निलम्बित अथवा निरस्त किया जा सकेगा।

क्रमशः.....7

(2) लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल अनुज्ञापन निलम्बित कर देगा और लाइसेंस के निरस्तीकरण एवम् समपहृत करने के लिये कारण बताओ नोटिस तामील करेगा। लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा। लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को सुनवाई के समुचित अवसर देते हुए सकारण आदेश पारित करेगा।

(3) यदि लाइसेंस निरस्त किया जाता है, तो लाइसेंसधारी को काली सूची में डाला जा सकेगा तथा उसे आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित भी किया जा सकेगा।

(डॉ0 एस०एस०सन्धु)
प्रमुख सचिव

वि0म0–5(म)

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों में विदेशी मदिरा व वाइन के फुटकर बिक्री के लिए "प्रीमियम रिटेल वैण्डस" शॉपिंग मॉल्स / डिपार्टमेन्टल स्टोर लाइसेंस

(नियम–7 के अन्तर्गत)

लाइसेंस .....जिला.....

दुकान का नाम.....प्रीमियम रिटेल वैण्डस.....

मोहल्ला.....थाना.....तहसील.....जिला .....

लाइसेंस फीस रू .....(अंकों में).....(शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू0 .....(अंकों में).....(शब्दों में)

परिसर का विवरण (चौहद्दी के साथ) भवनस्वामी का नाम व पूरा पता.....

उत्तर :.....

दक्षिण : .....

पूरब :.....

पश्चिम :.....

लाइसेंसधारी / लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1)..... पुत्र.....निवासी ग्राम / मुहल्ला.....थाना.....पोस्ट.....जिला.....

(2)..... पुत्र.....निवासी ग्राम / मुहल्ला.....थाना.....पोस्ट.....जिला.....

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

(1)..... पुत्र.....निवासी ग्राम / मुहल्ला.....थाना.....पोस्ट.....जिला.....

(2)..... पुत्र.....निवासी ग्राम / मुहल्ला.....थाना.....पोस्ट.....जिला.....

(3)..... पुत्र.....निवासी ग्राम / मुहल्ला.....थाना.....पोस्ट.....जिला.....

(4)..... पुत्र.....निवासी ग्राम / मुहल्ला.....थाना.....पोस्ट.....जिला.....

परिसर के बाहर उपभोग के लिए मानक बोतलों में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये प्रीमियम रिटेल वैण्डस का लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को जिला.....के अन्तर्गत..... (स्थान) पुलिस थाना.....तहसील..... के लिए दिनांक––––––––––––से 31 मार्च–––––––––––––– तक के लिये जिसके लिये नियम–7 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम–1910 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस फीस की धनराशि निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्ते

1– लाइसेंसधारी, जनपद के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंस धारक (वि0 म0–2/2डब्ल्यू/2 एस) अनुज्ञापी से विदेशी मदिरा/वाइन की आपूर्ति, समय–समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, व उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।

2– अनुज्ञापी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करायेगा। स्कॉच/वाईन के आयात हेतु उत्तराखण्ड में प्रचलित उत्तराखण्ड के अधिसूचित क्षेत्र में समुद्रपार विदेशी मदिरा का आयात (Import of Oversease Foreign Liquor in Scheduled areas in Uttranchal) सम्बन्धित नियम प्रभावी होंगे।

3– विदेशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से कम मूल्य पर मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

4– अनुज्ञापित परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। परिसर में मदिरापान निषिद्ध होगा।

5– एफ०एल०–05(एम)/एफ०एल०–05 (डीएस) से विदेशी मदिरा व बियर की फुटकर दुकान, बार एवं क्लब बार लाईसेंस में आपूर्ति/बिक्री की जाने वाली धारिता की बोतलों में बिक्री की जा सकेगी रूपये 300/– प्रति बोतल (750 एम०एल०) ई०डी०पी० की गणना उक्त धारिता के 750 एम०एल० प्रति मान्य क्वार्ट बोतल के समतुल्य आधार पर की जायेगी।

6– विहित तीव्रता और मानक क्षमता की मुहरबन्द धारिता की बोतलों में बिक्री की जायेगी और जिन पर समस्त करों के भुगतान के प्रमाण के रूप में एक्साइज एडहसिव लेबिल/सुरक्षात्मक होलोग्राम लगे हुए होंगे।

7– लाइसेंसधारी विहित रजिस्टर (एफ० एल०–25ए) जिसे कि भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है, में नियमित और सही–सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8– लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।

9– लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्ति धारक, फुटकर बिक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी।

10– लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे विक्रेता को सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग या छुआ–छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो।

11– 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को विदेशी मदिरा की विक्री नहीं की जायेगी।

12– लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में बोतलों या उनके लेबुलों, एक्साइज एडहसिव लेबिल/सुरक्षात्मक होलोग्राम मुहरों से बिगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।

13– लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चासनी), रंग, सुगंधि/अर्क होलोग्राम/श्रिंक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर (हानिकारक) सामग्री नहीं रखेगा।

14– लाइसेंसधारी के लिये अपनी बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से ग्राहक को प्रलोभन देने या आकर्षित करने का आश्रय लेना कड़ाई से निषिद्ध है।

15– अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाईसेंस अधिकारी द्वारा बन्दी के लिए यथा अधिसूचित दिवसों के अतिरिक्त सभी दिनों में राज्य सरकार द्वारा बारों हेतु निर्धारित समय तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धी क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकेगा। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर धनराशि देय नहीं होगी।

16– लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम–16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

17– लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्गत सामान्य एवं विशेष निर्देशों का पालन करेगा।

18– प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर के अनुज्ञापित परिसर में देशी मदिरा या अन्य किसी पदार्थ का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।

19– प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर अनुज्ञापन में वे सभी नियम/उप नियम यथावत् प्रभावी रहेगे जो एफ0एल0–5डी दुकानों हेतु प्रभावी होगे।

दिनांक .....

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

क्रम संख्या–126

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0ए0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, सोमवार, 27 नवम्बर, 2017 ई0

अग्रहायण 06, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 498/XXXVI (3)/2017/73(1)/2017

देहरादून, 27 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड–1 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने "उत्तराखण्ड (उ0प्र0 संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) अध्यादेश, 2017" पर दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश संख्या 02 वर्ष, 2017 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

29.11.2017

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड (उ0प्र0 संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910)(अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002)(संशोधन) अध्यादेश, 2017

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या. 02 सन् 2017)

संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि, उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अत एव, अब राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है,

भारत गणराज्य के 68वें वर्ष में विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार प्रारम्भ

1. (1) यह अध्यादेश उत्तराखण्ड (उ0प्र0संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002)(संशोधन) अध्यादेश, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 28 का संशोधन

2. संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 28 की उपधारा (3) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ड़) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात :—

(क) धारा 12(1) के उपबन्धों के अनुसार आयात किये गये उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों पर प्रति शुल्क–

मद सं०	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	रू0 500.00 प्रति ब०ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो और शोधित स्प्रिट:	
	(ए) एल, बीयर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वीत शराब	रू0 300.00 प्रति ब०ली०
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
	(सी) वाईन	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा विनिर्मितियाँ, जिसमें स्प्रिट हो जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
	(इ) ब्राण्डी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०

Scanned with CamScanner

मद सं०	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
3.	भांग	रू0 75.00 प्रति किलोग्राम

(ख) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये उत्पादन–शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद–शुल्क या प्रति–शुल्क–

मद सं०	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वीत अल्कोहलिक पेय को छोड़कर)	रू0 500.00 प्रति ब०ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो (बीयर को छोडकर)	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
3.	भारत में यवासवित बीयर	रू0 300.00 प्रति ब०ली०
4.	भांग	रू0 75.00 प्रति किलोग्राम

(ग) परिवहन किये गये उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद–शुल्क या प्रति–शुल्क–

मद सं०	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	रू0 500.00 प्रति ब०ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब, जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो और शोधित स्प्रिट	
	(ए) एल, बीयर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वीत शराब	रू0 300.00 प्रति ब०ली०
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
	(सी) वाईन	रू0 1500.00प्रति ब०ली०
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा विनिर्मितियॉ, जिसमें स्प्रिट हो जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	रू0 1500.00प्रति ब०ली०
	(इ) ब्राण्डी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
3.	भांग	रू0 75.00 प्रति कि०ग्राम

(घ) धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाईसेंस के अन्तर्गत कृषित या संग्रहीत उत्पाद– शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद–शुल्क या प्रति–शुल्क

मद सं०	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	रू0 500.00 प्रति ब०ली०

Scanned with CamScanner

मद सं०	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो और शोधित स्प्रिट :	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वीत शराब	रू0 300.00 प्रति ब०ली०
	(बी)सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
	(सी) वाईन ।	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा विनिर्मितियाँ, जिसमें स्प्रिट हो जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
	(इ) ब्राण्डी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
3.	भांग	रू0 75.00 प्रति कि०ग्राम

(ङ) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाईसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद–शुल्क–

मद सं०	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	रू0 500.00 प्रति ब०ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो और शोधित स्प्रिट :	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वीत शराब	रू0 300.00 प्रति ब०ली०
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	रू0 1500 प्रति ब०ली०
	(सी) वाईन	रू0 1500 प्रति ब०ली०
	(टी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा विनिर्मितियाँ, जिसमें स्प्रिट हो जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	रू0 1500 प्रति ब०ली०
	(इ) ब्राण्डी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	रू0 1500 प्रति ब०ली०

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

No. 496/XXXVI(3)/2017/73(1)/2017
Dated Dehradun, November 27, 2017

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand (the UP Excise Act, 1910) (Adaption and Modification Order, 2002) (Amendment) Ordinance, 2017' **(Uttarakhand Ordinance No.02 of 2017)**

As assented to by the Governor on 27 November, 2017.

The Uttarakhand (the UP Excise Act, 1910) (Adaption and Modification Order, 2002) (Amendment) Ordinance 2017
(Uttarakhand Ordinance No. 02 of 2017)

[Promulgated by the Governor in the Sixty-eighth year of the Republic of India]

An

Ordinance

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910 (UP Act no 4 of 1910) (as applicable to the State of Uttrakhand) to the context of the State of Uttarakhand,

WHEREAS, the State Assembly is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance -

Short Title, extent and Commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttarakhand (the UP Excise act, 1910)(Adaption and Modification Order, 2002) (Amendment) Ordinance, 2017.

(2) It shall extend to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Section 28

2. The United Provinces Excise Act, 1910 (UP Act no 4 of 1910) (as applicable to the State of Uttrakhand), in clause (a),(b),(c),(d) and (e) of sub-section (3) of section 28 shall be substituted as follows, namely-

Scanned with CamScanner

(A) Countervailing duty on excisable articles imported in accordance with the provisions of section 12(1)-

Item No.	*Description of excisable articles*	*Maximum rate of duty*
1.	Country liquor (except tari)	Rs. 500 per bulk litre
2.	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour to liquor imported into India; and rectified spirit---	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	Rs. 300 per bulk litre
	(b) perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 1500 bulk per litre
	(c) Wine	Rs. 1500 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 1500 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rum, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified	Rs. 1500 per bulk litre
3.	Bhang (Hemp)	Rs. 75 per kg.

(B) Excise or countervailing duty on excisable articles exported in accordance with the provisions of section 13–

Item No.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
1.	Country liquor (except tari and other fermented alcoholic beverages)	Rs. 500.00 bulk litre
2.	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour to liquor imported into India (except beer)	Rs. 1500 per bulk litre
3.	Beer brewed in India	Rs. 300 per bulk litre
4.	Bhang(Hemp)	Rs. 75.00 per kg.

(C) Excise or countervailing duty on excisable articles transported—

Item No.	*Description of excisable articles*	*Maximum rate of duty*
1.	Country liquor (except tari)	Rs.500 per bulk litre
2.	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour to liquor imported into India; and rectified spirit—	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	Rs. 300 per bulk litre
	(b) perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 1500 per bulk litre
	(c) Wines	Rs. 1500 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 1500 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rum, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified	Rs. 1500 per bulk litre
3.	Bhang (Hemp)	Rs. 75 per kg.

Scanned with CamScanner

(D) Excise duty on excisable articles manufactured, cultivated or collected under any licence granted under section 17-

Item No.	*Description of excisable articles*	*Maximum rate of duty*
1.	Country liquor (except tari)	Rs. 500 per bulk litre
2.	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour to liquor imported into India and rectified spirit---	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	Rs. 300 per bulk litre
	(b) perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 1500 per bulk litre
	(c) Wine	Rs. 1500 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 1500 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rum, rectified spirit and other sorts of spirit net otherwise specified	Rs. 1500 per bulk litre
3.	Bhang (Hemp)	Rs. 75 per kg.

(E) Excise duty on excisable articles manufactured in any distillery established, or any distillery or brewery licensed under section 18-

Item No.	*Description of excisable articles*	*Maximum rate of duty*
1.	Country liquor (except tari and other fermented alcoholic beverages)	Rs. 500 per bulk litre
2.	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India and rectified spirit---	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	Rs. 300 per bulk litre
	(b) perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 1500 per bulk litre
	(c) Wine	Rs. 1500 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 1500 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rum, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified	Rs. 1500 per bulk litre

By Order,

ALOK KUMAR VERMA,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 78 विधायी / 765–2017–100+500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / रीजियो)।

Scanned with CamScanner

Retail shop List of County Liquior

CL SHOP 2023-24

No.	District	SHOP NAME
1	Dehradun	Karanpur
2	Dehradun	Ballupur
3	Dehradun	Patel Nagar Saharanpur Road
4	Dehradun	Ranipokhri
5	Dehradun	Haridwar Baipas
6	Dehradun	Dharampur
7	Dehradun	Lakhibag
8	Dehradun	Akab Tahsil
9	Dehradun	Kanwali Road
10	Dehradun	Adhoiwala Chuna Bhatta
11	Dehradun	Kulri
12	Dehradun	Liberi
13	Dehradun	Landor-1
14	Dehradun	Landor-2
15	Dehradun	Rajpur
16	Dehradun	Sahaspur
17	Dehradun	Harbertpur Paunta Road
18	Dehradun	Ratanpur
19	Dehradun	Selqui
20	Dehradun	Headwali
21	Dehradun	Raiwala
22	Dehradun	Doiwala Haridwar Road, Nagar Palika Seemantragat
23	Dehradun	Harrawala
24	Dehradun	Shastri Nagar
25	Dehradun	Resham Mazri
26	Dehradun	Raipur
27	Dehradun	Transport Nagar
28	Dehradun	Badowala
29	Dehradun	Bhauwala
30	Dehradun	Kulhan Gaon
31	Dehradun	Harbartpur-2 Dehradun Road
32	Dehradun	Lehmanpul
33	Dehradun	Barotiwala
34	Dehradun	Vikasnagar
35	Dehradun	Premnagar
36	Dehradun	I.S.B.T.
37	Dehradun	Jeevangarh
38	Pithoragarh	Pithoragarh
39	Pithoragarh	Didihat
40	Pithoragarh	Thal
41	Pithoragarh	Gangolihat
42	Pithoragarh	Berinag
43	Almora	Lamgara
44	Almora	Kosi
45	Almora	Bhaisiyachana
46	Almora	Someswar

47	Almora	Bhatrojkhan
48	Almora	Ranikhet
49	Almora	Korichina
50	Almora	Danya
51	Almora	Panuwanaula
52	Almora	Almora No.- 2
53	Almora	Bagwalipokhar
54	Almora	Kefda
55	Almora	Marchula
56	Almora	Basoli
57	Almora	Ganai
58	Almora	Sharfatek
59	Almora	Dwarahat
60	Almora	Syalde
61	Almora	Bhikiasain
62	Almora	Almora No-1
63	Almora	Manglta Almora
64	Almora	Basantpur Bhnoli
65	Nainital	Fl Mangalpadav
66	Nainital	Fl Railway Road Haldwani
67	Nainital	Cl Mallital
68	Nainital	Cl Ranikhet Road Ramnagar
69	Nainital	Cl Lohariyasal
70	Nainital	Cl Bareilly Road Haldwani
71	Nainital	Cl Nainital Road Haldwani
72	Nainital	Cl Kathgodam
73	Nainital	Cl Bhowali
74	Nainital	Cl Khairna
75	Nainital	Cl Kaladungi Road Haldwani
76	Nainital	Cl Tikoniya
77	Nainital	Cl Khansyu Galani
78	Nainital	Cl Betalghat
79	Nainital	Cl Bhwaniganj
80	Nainital	Cl Kaladungi
81	Nainital	Cl Halduchor
82	Nainital	Cl Kotabag
83	Nainital	Cl Bailpadav
84	Nainital	Cl Bhimtal
85	Nainital	Cl Nathuwakhan
86	Nainital	Cl Ladfoda
87	Nainital	Cl Nainital Road No. 2
88	Nainital	Cl Suyalbari
89	Nainital	Cl Malla Ramgarh
90	Nainital	Cl Punagarh Chetra
91	Nainital	Cl Peerumadara
92	Nainital	Cl Karanpur
93	Nainital	Cl Lalkuan
94	Nainital	Cl Rajpura
95	Nainital	Cl Rampur Road Hld
96	Nainital	Cl Shivlalpur Chungi

97	Nainital	Cl Nainital Road Haldwani
98	Nainital	Cl Railway Road Hld
99	Bageswar	Kanda
100	Bageswar	Cl Bharari
101	Bageswar	Cl Garood
102	Bageswar	Cl Kafliger
103	Bageswar	Cl Bageshwar
104	Haridwar	Manglore
105	Haridwar	Roshnabad
106	Haridwar	Bhogpur
107	Haridwar	Kangri Road
108	Haridwar	Gaindikhata
109	Haridwar	Rawli Mahdood
110	Haridwar	Ramnagar Lakhnotha
111	Haridwar	Hallumazra
112	Haridwar	Jhabrera Road
113	Haridwar	Kuwanheri Narsan
114	Haridwar	Lahboli
115	Haridwar	Mundakhera
116	Haridwar	Dabki
117	Haridwar	Sultanpur Kunheri
118	Haridwar	Dhanpura
119	Haridwar	Sahdevpur
120	Haridwar	Nayagaon
121	Haridwar	Ekkad
122	Haridwar	Katwad Laldhang
123	Haridwar	Chidyapur
124	Haridwar	Jamalpur Khurd Nikat Barriyar No 6
125	Haridwar	Salempur
126	Haridwar	Salempur Tiraha
127	Haridwar	Dhanori
128	Haridwar	Meerpur
129	Haridwar	Rasoolpur
130	Haridwar	Begampur
131	Haridwar	Shantar Shah Road
132	Haridwar	Bharapur Road
133	Haridwar	Malakpur Chungi
134	Haridwar	Bhagwanpur
135	Haridwar	Tejjupur
136	Haridwar	Sikandarpur Bhainwal Laksewari
137	Haridwar	Manglore Libbarhedi Road
138	Haridwar	Nathukhedi
139	Haridwar	Chauli/Khubbanpur
140	Haridwar	Ramnagar Bhagwanpur Road
141	Haridwar	Ramnagar Salempur Road
142	Haridwar	Iqbalpur
143	Haridwar	Iqbalpur Road
144	Haridwar	Civil Line Bus Adda
145	Haridwar	Dhandera Phatak
146	Haridwar	Dabal Phatak

147	Haridwar	Landora
148	Haridwar	Sohalpur Haddiwala Road
149	Haridwar	Imlikheda
150	Haridwar	Lathadeva Hun Glass Factory
151	Haridwar	Harchandpur Manakpur Adampur Road
152	Haridwar	Sadoli
153	Haridwar	Bajuhedi
154	Haridwar	Salfar Beladi
155	Haridwar	Bahadarpur
156	Haridwar	Nikat Sri Cement Facrory
157	Haridwar	Sindharu
158	Haridwar	Bhikkampur
159	Haridwar	Laksar Raisi Tiraha
160	Haridwar	Govardhanpur
161	Haridwar	Khanpur
162	Haridwar	Laksar Flyover
163	Haridwar	Pathri
164	Haridwar	Aurangabad Aneki Road
165	Haridwar	Podowali/Derio
166	Haridwar	Raisi
167	Haridwar	Kudi Bhagwanpur
168	Haridwar	Bahadrabad
169	Haridwar	Salezfarm
170	Haridwar	Shahpur Sheetla Kheda
171	Haridwar	Jhabreda
172	Haridwar	Buggawala
173	Haridwar	Paniyala
174	Haridwar	Amantgarh
175	Haridwar	Sabjimandi
176	Haridwar	Poorvawali
177	Haridwar	Dada Patti
178	Haridwar	Laksar Station Road
179	Haridwar	Bahadarpur Jatt
180	Haridwar	Laksar Haridawar Road
181	Haridwar	Bongla
182	Udham Singh Nagar	Kichha N0-3 Barily Road
183	Udham Singh Nagar	Tranjit Camp
184	Udham Singh Nagar	Kichha N0-1 (Near Railway Station)
185	Udham Singh Nagar	Lalpur
186	Udham Singh Nagar	Phulsunga
187	Udham Singh Nagar	Kichha N0-2 (Pantnagar Road)
188	Udham Singh Nagar	Rudrapur N0-2 (Shivnagar)
189	Udham Singh Nagar	Rampura
190	Udham Singh Nagar	Bijti Road
191	Udham Singh Nagar	Kashipur N0-2
192	Udham Singh Nagar	Jaspur (Afjalghar Bus Adda)
193	Udham Singh Nagar	Chaiti Chauraha
194	Udham Singh Nagar	Aalufarm
195	Udham Singh Nagar	Kelamod Road
196	Udham Singh Nagar	Hariyawala (Nikat Sidharth Mill Gate)

197	Udham Singh Nagar	Jaspur Khurd
198	Udham Singh Nagar	Rajwara
199	Udham Singh Nagar	Mahuwakheraganj
200	Udham Singh Nagar	Nikat Aliganj Tiraha
201	Udham Singh Nagar	Nadahi
202	Udham Singh Nagar	Bairya Road, Bazpur
203	Udham Singh Nagar	Jainagar
204	Udham Singh Nagar	Bazpur (Near Railway Fatak)
205	Udham Singh Nagar	Dineshpur
206	Udham Singh Nagar	Rajivnagar
207	Udham Singh Nagar	Phulbhatta
208	Udham Singh Nagar	Near Subhash Chok Jaspur
209	Udham Singh Nagar	Near Dadiyal Bus Adda
210	Udham Singh Nagar	Rudrapur No 5 Below Fly Over
211	Udham Singh Nagar	Atariya Road
212	Udham Singh Nagar	Near Kanjabagh Chauraha
213	Udham Singh Nagar	Chakarpur
214	Udham Singh Nagar	Kundeshwari
215	Udham Singh Nagar	Barheni
216	Udham Singh Nagar	Kashipur No1
217	Udham Singh Nagar	Gadarpur
218	Udham Singh Nagar	Rudrapur Near Bus Adda
219	Udham Singh Nagar	Pilibhit Road
220	Udham Singh Nagar	Baguliya Malaghat Road
221	Udham Singh Nagar	Kunda Gari Negi Road
222	Udham Singh Nagar	Kashipur Road (Near Galla Mandi)
223	Udham Singh Nagar	Lohiya Head Road
224	Udham Singh Nagar	Amariya Chauraha, Sitarganj
225	Udham Singh Nagar	Talabpur
226	Udham Singh Nagar	Vidora Majhola
227	Udham Singh Nagar	Aanandpur
228	Udham Singh Nagar	Mundaily Choraha
229	Udham Singh Nagar	Rudrapur No-1 (Sidcul Dhal)
230	Udham Singh Nagar	Ramnagar Road Near Turest Hotel
231	Udham Singh Nagar	Dharmpur Choraha Road
232	Udham Singh Nagar	Shaktifarm
233	Udham Singh Nagar	Pahaniya Choraha
234	Udham Singh Nagar	Tanakpur Road
235	Udham Singh Nagar	Ukroli
236	Udham Singh Nagar	Sultanpur Patti
237	Udham Singh Nagar	Vamanpuri Road Sitarganj
238	Udham Singh Nagar	Bura Rani Road Madkota
239	Champawat	Cl-5c Champawat
240	Champawat	Cl-5c Lohaghat
241	Champawat	Cl-5c Pulla
242	Champawat	Cl-5c Chalthi
243	Champawat	Cl-5c Banbasa
244	Champawat	Cl-5c Barakot
245	Champawat	Cl-5c Bhingrada
246	Champawat	Fl-5c Tanakpur

Retail shop List of IMFI

	IMFL SHOP	2023 2024
No.	District	SHOP NAME
1	Dehradun	Chakrata Road-1 Near Kishan Nagar Chauk
2	Dehradun	Mohkampur
3	Dehradun	Rajpur
4	Dehradun	Kurli-1
5	Dehradun	Tehri Bus Adda Mussoorie
6	Dehradun	Kulhal Kunja
7	Dehradun	Dalanwala
8	Dehradun	Rajpur Road-2 Near Ghantaghar
9	Dehradun	Patel Nagar Saharanpur Road
10	Dehradun	Gandhi Road
11	Dehradun	Premnagar
12	Dehradun	Haridwar Baipass Kargi Chowk
13	Dehradun	Kanwali Road
14	Dehradun	Kurli-1
15	Dehradun	Library
16	Dehradun	Shastri Nagar Ring Road, Near 6 No. Puliya
17	Dehradun	Doiwala Haridwar Road Nagar Palika Seemantragat
18	Dehradun	Rajpur
19	Dehradun	Raiwala
20	Dehradun	Raipur
21	Dehradun	Dakpathar
22	Dehradun	Mohakampur
23	Dehradun	Lal Tappar
24	Dehradun	Danda Lakhon Sahatradhara Road
25	Dehradun	Jakhan Rajpur Road
26	Dehradun	Ratanpur
27	Dehradun	Kulhal Kunja
28	Dehradun	Chakrata
29	Dehradun	Haripur
30	Dehradun	Tyuni
31	Dehradun	Haridwar Baipas Near Mahendra Showroom
32	Dehradun	Badowala
33	Dehradun	Ghuchu Pani
34	Dehradun	Bhauwala Manduwala
35	Dehradun	Sahiya
36	Dehradun	Koti
37	Dehradun	Kulhan Gaon
38	Dehradun	Nauka Daurwala
39	Dehradun	Niranjan Pur
40	Dehradun	Transport Nagar
41	Dehradun	Tehri Bus Adda
42	Dehradun	Judo Silon
43	Dehradun	Lehmanpul

44	Dehradun	Barotiwala
45	Dehradun	Vikas Nagar
46	Dehradun	Sahaspur
47	Dehradun	Rajpur Road-3 (Nikat Sachiwalay Gate)
48	Dehradun	Aaraghar
49	Dehradun	Chakrata Road-2 (Bindalpul)
50	Dehradun	Haridwar Bypas Nikat Rispana
51	Dehradun	Paltn Bazar
52	Dehradun	Kuldi-2
53	Dehradun	Landor
54	Dehradun	G.M.S.Road
55	Dehradun	Harbartpur
56	Dehradun	I S B T
57	Dehradun	Chakrata Road-1(Nikat Kishan Nagar Chauk)
58	Dehradun	Selaqui
59	Dehradun	Ranipokhri
60	Dehradun	Adhoiwala Chuna Bhatta Dehradun
61	Dehradun	Rajpur Road-1 (Near R.T.O.)
62	Pithoragarh	Chandak
63	Pithoragarh	Jhulaghat
64	Pithoragarh	Didihat
65	Pithoragarh	Pithoragarh No. 02
66	Pithoragarh	Jauljibi
67	Pithoragarh	Kanalichina
68	Pithoragarh	Wadda
69	Pithoragarh	Askot
70	Pithoragarh	Gangolihat
71	Pithoragarh	Pithoragarh No. 01
72	Pithoragarh	Kwiti
73	Pithoragarh	Kotmanya
74	Pithoragarh	Jourasi
75	Pithoragarh	Chandak
76	Pithoragarh	Dharchula
77	Pithoragarh	Bungachina
78	Pithoragarh	Ghat
79	Pithoragarh	Berinag
80	Pithoragarh	Munsayri
81	Pithoragarh	Ganai Gangoli
82	Pithoragarh	Nachani
83	Pithoragarh	Muwani
84	Pithoragarh	Bhawan Khola
85	Pithoragarh	Thal
86	Pithoragarh	Pithoragarh No-3
87	Pauri	Kot
88	Pauri	Rikhnikhal
89	Pauri	Jasodarpur
90	Pauri	Moternagar Kotdwar

91	Pauri	Gumkhal
92	Pauri	Sabdarkhal
93	Pauri	Saneh
94	Pauri	Ghandiyal
95	Pauri	Chailusain/Dwarikhal
96	Pauri	Khirsu/Chaubatta
97	Pauri	Naugaonkhal
98	Pauri	Bungidhar/Jagatpuri
99	Pauri	Sediyakhal
100	Pauri	Kandakhal
101	Pauri	Dhumakot/Jadaukhand
102	Pauri	Digolikhal
103	Pauri	Rathuvadhaab
104	Pauri	Tripalisain
105	Pauri	Kaljikhal
106	Pauri	Birokhal
107	Pauri	Kot
108	Pauri	Agroda
109	Pauri	Satpuli
110	Pauri	Durgapuri/Ghamandpur
111	Pauri	Silogi
112	Pauri	Blkhet/Banghaat
113	Pauri	Vedikhal
114	Pauri	Paithani
115	Pauri	Paukhal
116	Pauri	Patisain
117	Pauri	Sanglakoti
118	Pauri	Dugadda
119	Pauri	Nainidanda
120	Pauri	Srinagar
121	Pauri	Pauri
122	Pauri	Rattapani(Udaypur Talla-1)
123	Pauri	Lansdown
124	Pauri	Pabou
125	Pauri	Kotdwar Railway Station
126	Pauri	Dadamandi
127	Pauri	Thalisian
128	Pauri	Baijro
129	Pauri	Yamkeswar/Umra
130	Pauri	Gaindkhal/Bijni
131	Almora	Almora No-1
132	Almora	Bhesiyachana
133	Almora	Syalde
134	Almora	Bhaisiyachana
135	Almora	Dwarahat
136	Almora	Jalali
137	Almora	Majkhali

138	Almora	Sylde
139	Almora	Molekhal
140	Almora	Ranikhet
141	Almora	Someshwar
142	Almora	Almora No-1
143	Almora	Dotiyal
144	Almora	Panduvakhal
145	Almora	Kosi
146	Almora	Ganai
147	Almora	Jainti
148	Almora	Dhaulachinna
149	Almora	Bagwalipokhar
150	Almora	Bhatraojkhan
151	Almora	Sharikhet
152	Almora	Kafada
153	Almora	Panuwanola
154	Almora	Badechina
155	Almora	Basoli
156	Almora	Lamghra
157	Almora	Masi
158	Almora	Marchula
159	Almora	Bhikyasen
160	Almora	Deghat
161	Almora	Danya
162	Almora	Sharfatak
163	Almora	Bhonli
164	Almora	Almora No-2
165	Almora	Machod
166	Almora	Nagchulakhal
167	Almora	Harda
168	Almora	Patali
169	Nainital	Fl Kathgodam
170	Nainital	Fl Tikoniya
171	Nainital	Fl Kusumkhera Kamlwaganja Road Haldwani
172	Nainital	Fl Tallital
173	Nainital	Fl Kaladungi Road Haldwani
174	Nainital	Fl Patelchowk
175	Nainital	Fl Bhowali
176	Nainital	Fl Bhimtal
177	Nainital	Fl Bareilly Road Haldwani
178	Nainital	Fl Bhateliya
179	Nainital	Fl Nainital Road No. 2
180	Nainital	Fl Bailpadav
181	Nainital	Fl Peerumadara
182	Nainital	Fl Bhatrojkhan
183	Nainital	Fl Pahadpani
184	Nainital	Fl Talla Ramgarh

185	Nainital	Fl Mauna
186	Nainital	Fl Bhawaniganj
187	Nainital	Fl Nainital Road Haldwani
188	Nainital	Fl Mallital 2324
189	Nainital	Fl Khairna
190	Nainital	Fl Railway Road Hld
191	Nainital	Fl Ranikhet Road Ramnagar
192	Nainital	Fl Mandi Teen Pani
193	Nainital	Fl Mukhani
194	Nainital	Fl Lohariyasal 2324
195	Nainital	Fl Lalkuan
196	Nainital	Fl Kaladungi
197	Nainital	Fl Halduchor
198	Nainital	Fl Kotabag
199	Bageswar	Fl Kandhar
200	Bageswar	Fl Shama
201	Bageswar	Fl Kanda
202	Bageswar	Fl Bharari
203	Bageswar	Fl Kafliger
204	Bageswar	Fl Bageshwar
205	Bageswar	Fl Garur
206	Haridwar	Kangri Road
207	Haridwar	Landhora
208	Haridwar	Salempur Tiraha
209	Haridwar	Salezfarm
210	Haridwar	Pathri
211	Haridwar	Nayagaon
212	Haridwar	Bahadrabad Bypass Road
213	Haridwar	Katwad Laldhang
214	Haridwar	Dhanori
215	Haridwar	Shantarsh Road Nikat Adhyogik Road Tiraha
216	Haridwar	Begampur
217	Haridwar	Buggwala
218	Haridwar	Aaurangabad Anniki Road
219	Haridwar	Ramnagar Bhagwanpur Road
220	Haridwar	Poorvawali
221	Haridwar	Dhandera Phatak
222	Haridwar	Bhagwanpur
223	Haridwar	Chauli/Khubbanpur
224	Haridwar	Amantgarh
225	Haridwar	Dadapatti
226	Haridwar	Civil Line Tiraha
227	Haridwar	Manglore
228	Haridwar	Kuwahedi/Narson
229	Haridwar	Naseerpur
230	Haridwar	Jhabreda
231	Haridwar	Iqbalpur

232	Haridwar	Tejjupur
233	Haridwar	Double Phatak
234	Haridwar	Sohalpur Haddiwala Road
235	Haridwar	Roorkee Bypass
236	Haridwar	Hallumajra
237	Haridwar	Laksar Haridwar Road
238	Haridwar	Lakar Raisi Tiraha
239	Haridwar	Laksar Station Road
240	Haridwar	Sultanpur Kunehri
241	Haridwar	Raysi
242	Haridwar	Bukkanpur
243	Haridwar	Civil Line Bus Adda
244	Haridwar	Chidyapur
245	Haridwar	Shah Pur Sheetla Kheda
246	Haridwar	Dhanpura
247	Haridwar	Ramnagar Camp
248	Haridwar	Rawali Mahdood
249	Haridwar	Malakpur Chungi
250	Haridwar	Bajuhedi
251	Haridwar	Main Bazar
252	Haridwar	Khanpur
253	Haridwar	Laksar Flyover
254	Haridwar	Asaf Nagar Jhal
255	Haridwar	Ramnagar Laknota
256	Haridwar	Jamalpur Khurd Nikat Barrier No -6
257	Haridwar	Roshnabad
258	Uttarkashi	Bhatwari
259	Uttarkashi	Dunda
260	Uttarkashi	Brahmkhal
261	Uttarkashi	Barnigard
262	Uttarkashi	Chinyalisour
263	Uttarkashi	Netwad
264	Uttarkashi	Mori
265	Uttarkashi	Aarakot
266	Uttarkashi	Naugaun
267	Uttarkashi	Uttarkashi
268	Uttarkashi	Badkot
269	Uttarkashi	Purola
270	Uttarkashi	Dhontry
271	Uttarkashi	Banchora
272	Uttarkashi	Damta
273	Uttarkashi	Bhawnipur
274	Uttarkashi	Rataldhar
275	Udham Singh Nagar	Mundeli Chauraha
276	Udham Singh Nagar	Lalpur
277	Udham Singh Nagar	Kichha No-1 (Near Bus Adda)
278	Udham Singh Nagar	Majhola Gown

279	Udham Singh Nagar	Paheniya Chauraha
280	Udham Singh Nagar	Kunda Gadi Negi Road
281	Udham Singh Nagar	Talabpur
282	Udham Singh Nagar	Jaspur Manshapatti
283	Udham Singh Nagar	Jaspur Khurd (Near Gas Godam)
284	Udham Singh Nagar	Dharmpur Chauraha Road
285	Udham Singh Nagar	Jaynagar
286	Udham Singh Nagar	Chhoi Road
287	Udham Singh Nagar	Gadarpur
288	Udham Singh Nagar	Dineshpur
289	Udham Singh Nagar	Near Dadiyal Bus Adda
290	Udham Singh Nagar	Kichha No-2
291	Udham Singh Nagar	Mahuakheraganj
292	Udham Singh Nagar	Keshowala
293	Udham Singh Nagar	Kashipur No 1
294	Udham Singh Nagar	Bannakhera
295	Udham Singh Nagar	Barheni
296	Udham Singh Nagar	Beriya Daulat
297	Udham Singh Nagar	Gangapur Road Near Daksh Chauraha
298	Udham Singh Nagar	Gaba Chowk
299	Udham Singh Nagar	Mahuadabra
300	Udham Singh Nagar	Kelakheda
301	Udham Singh Nagar	Pratappur 17 Mill Road
302	Udham Singh Nagar	Bazpur No.2 Near Rajshree Bar
303	Udham Singh Nagar	Rudrapur Near Bus Adda
304	Udham Singh Nagar	Khatima No 1
305	Udham Singh Nagar	Ukroli
306	Udham Singh Nagar	Gularboj
307	Udham Singh Nagar	Chakarpur
308	Udham Singh Nagar	Near Kanjabag Choraha
309	Udham Singh Nagar	Kundeshwari
310	Udham Singh Nagar	Bara
311	Udham Singh Nagar	Kashipur Road (Near Galla Mandi)
312	Udham Singh Nagar	Mahtosh Nababaganj Raod Near Sanjaynagar
313	Udham Singh Nagar	Jhankaya
314	Udham Singh Nagar	Atariya Road
315	Udham Singh Nagar	Kichha Railway Station
316	Udham Singh Nagar	Lohiya Head Road
317	Udham Singh Nagar	Banusi
318	Udham Singh Nagar	Shaktifarm
319	Udham Singh Nagar	Ramnagar Road Near Stadium
320	Udham Singh Nagar	Bazpur No-1 Near Deshi Madira
321	Udham Singh Nagar	Jaspur
322	Udham Singh Nagar	Thakurdwara Chungi
323	Udham Singh Nagar	Kashipur No-2 (Near Jaspur Bus Adda)
324	Udham Singh Nagar	Sitarganj Bijti Chauraha
325	Udham Singh Nagar	Kashipur No.3

326	Udham Singh Nagar	Aalufarm
327	Udham Singh Nagar	Pratappur
328	Udham Singh Nagar	Nadehi
329	Udham Singh Nagar	Aanandpur
330	Udham Singh Nagar	Sultanpurpatti
331	Udham Singh Nagar	Sisaikhera Road, Vidora Majhola
332	Udham Singh Nagar	Rajwara
333	Udham Singh Nagar	Sitarganj No-2 Vamanpuri Road
334	Udham Singh Nagar	Hariyawala (Near Sidharth Mill Gate)
335	Udham Singh Nagar	Tranjit Camp
336	Udham Singh Nagar	Kashipur No-1
337	Udham Singh Nagar	Nikat Aliganj Tiraha
338	Udham Singh Nagar	Jafarpur
339	Chamoli	Pokhari
340	Chamoli	Nandprayag
341	Chamoli	Maithan
342	Chamoli	Gopeshwar
343	Chamoli	Goachar
344	Chamoli	Pokhari
345	Chamoli	Nandprayag
346	Chamoli	Maithan
347	Chamoli	Chamoli
348	Chamoli	Gopeshwar
349	Chamoli	Gwaldam
350	Chamoli	Karanprayag
351	Chamoli	Tharali
352	Chamoli	Gairsain
353	Chamoli	Joshimath
354	Chamoli	Dewal
355	Chamoli	Ghat
356	Chamoli	Mehalchauri
357	Chamoli	Narayanbager
358	Champawat	Fl-5d Lohaghat
359	Champawat	Fl-5d Devidhura
360	Champawat	Fl-5d Brijnagar
361	Champawat	Fl-Banbasa
362	Champawat	Fl-5d Tanakpur
363	Champawat	Fl-5d Pati
364	Champawat	Fl-5d Champawat
365	Tehri	Bheet-Pantgaon
366	Tehri	Thatyur
367	Tehri	New Tehri
368	Tehri	Bhagiratipuram
369	Tehri	Lambgaon
370	Tehri	Maindkhal
371	Tehri	Dhalwala Munikireti
372	Tehri	Chaka

373	Tehri	Shivpuri
374	Tehri	Gaja
375	Tehri	Bagwan
376	Tehri	Bheet Pantgaon
377	Tehri	Kiritinagar
378	Tehri	Gadoliya
379	Tehri	Chaam
380	Tehri	Kempty
381	Tehri	Chamba
382	Tehri	Ghansali
383	Tehri	Chamiyala
384	Tehri	Kodiyala
385	Tehri	Rajakhet
386	Tehri	Nainbag
387	Tehri	Narendranagar
388	Tehri	Dhanolti
389	Tehri	Ghuttu
390	Tehri	Hindolakhal
391	Tehri	Pratapnagar-Majaf
392	Rudrapryag	Khankra.
393	Rudrapryag	Basukedar.
394	Rudrapryag	Rudraprayg.
395	Rudrapryag	Kakadagaad(Ukhimath)
396	Rudrapryag	Khedakhal
397	Rudrapryag	Nagrasu.
398	Rudrapryag	Augustmuni(Vijaynagar)
399	Rudrapryag	Tilwara.
400	Rudrapryag	Mayali
401	Rudrapryag	Chopta (Saterakhal)

Bar List 2023 2024

No.	District	BAR NAME
1	Almora	Atithi Resturent & Bar
2	Almora	Continental Restaurent & Bar
3	Almora	M/S Bela Bar & Restaurent
4	Almora	M/S Friends Bar & Restaurent
5	Almora	M/S Shivani Foods & Resort
6	Almora	M/S Sunita Sun City Center
7	Almora	M/S Tusker Trails Llp
8	Almora	Mahendra Holidays And Resort In.Ltd
9	Almora	Nutan Bar Ranikhet
10	Almora	Oak Barrel Multiquisin Restarent
11	Almora	Prudent Spa & Resorts Pvt Ltd
12	Almora	Ranikhet Club Bar, Ranikhet
13	Almora	Shere Punjab Bar Ranikhet
14	Almora	Shivam Bar & Restaurent
15	Almora	Shubham Bar Ranikhet
16	Almora	Snow View Bar Almora
17	Almora	Varsha Bar & Restaurent
18	Bageswar	Dev Bar & Restaurent
19	Bageswar	Devdas Restaurant
20	Bageswar	Guru Restaurant And Bar
21	Bageswar	Hari Mohan Restaurent
22	Bageswar	Himalayan View Restaurant
23	Bageswar	Inderlok Resaturent
24	Bageswar	Jayeka Family Bar & Restaurent
25	Bageswar	Katur Restaurent
26	Bageswar	M/S King Kong Blue Restaurent
27	Bageswar	M/S Melting Moments Restaurent & Bar
28	Bageswar	M/S My Restaurent & Bar
29	Bageswar	M/S Valley Restaurent Kaanda
30	Bageswar	Meet & Eat Baar Restaurent
31	Bageswar	Pinder Valley Restaurent
32	Bageswar	River View Resturent & Bar
33	Bageswar	Shere Ae Daanpur
34	Bageswar	Santusti Bar & Restaurent
35	Bageswar	Swagat Restaturent
36	Bageswar	Welcome Bar & Restaurent
37	Chamoli	Auli Bar
38	Chamoli	Tathv Resort And Hotel
39	Dehradun	07 Heaven
40	Dehradun	19 Th Centuary(Unit Of Royal Arc Hospitality)
41	Dehradun	Akak Foods
42	Dehradun	Akshat Hospitality
43	Dehradun	Aristella
44	Dehradun	Armada Mines Bar
45	Dehradun	Asr Lounge
46	Dehradun	Aura Restaurant
47	Dehradun	Aangan Restaurant
48	Dehradun	Aero Suites By Mj Hotels

49	Dehradun	Ashwariya Restaurent & Bar, Dehradun
50	Dehradun	Azure Bar(A Unit Of Sai Hospitality)
51	Dehradun	Bar One(A Unit Of Siddhartha Palce)
52	Dehradun	Barbeque Nation Hospitality Ltd Gms
53	Dehradun	Barbeque Nation Hospitality Ltd.
54	Dehradun	Bodyguard Restaurent & Lounge
55	Dehradun	Brv Group
56	Dehradun	Bunglow Pub Restaurant(Unit Of Uttranchal Realt)
57	Dehradun	Baris (A Unit Of Gorgeous Hospitality Pvt Ltd)
58	Dehradun	Belmount Food And Beverages
59	Dehradun	Black Paper Restaurent & Bar
60	Dehradun	Bollywood Cafe & Lounge
61	Dehradun	Bombay Place Bar, Dehradun
62	Dehradun	Booz On Mrp Gastropub
63	Dehradun	Bottoms Up Bar
64	Dehradun	Cafe Delhi Heights(S Unit Of Raayan Culinary Art)
65	Dehradun	Cafe Turquoise Cottage
66	Dehradun	Cafe Village Highwa (Unit Of Sh Balaji Hold.)
67	Dehradun	Chilis (U/O Promex Brands Pvt Ltd)
68	Dehradun	Civil Services Institute
69	Dehradun	Crescent Moon(U/O Devs Health Care Doon Valley)
70	Dehradun	Curethe Culinary Bar
71	Dehradun	Classic Restaurent & Bar, Dehradun
72	Dehradun	Diablo Restaurant & Bar(Amashi Ventures)
73	Dehradun	Dhaba (A Unit Of Sliq F&B Services Llp)
74	Dehradun	Doon Club Bar
75	Dehradun	Epicure Hotels And Resorts
76	Dehradun	Etlantis Club Bar
77	Dehradun	Farzi Cafe(A Unit Of Urban Estates)
78	Dehradun	Four Banyans
79	Dehradun	G7 Lunchednette
80	Dehradun	Garden Resort
81	Dehradun	Grill To Chill Restaruent
82	Dehradun	Grille Restaurant & Bar
83	Dehradun	Gola Sizzlers Pvt Ltd
84	Dehradun	Hill View Restaurant
85	Dehradun	Hooters Restaurant
86	Dehradun	Hotel Fort Resort Mussoorie
87	Dehradun	Hotel Gdb Palace (Unit Of Ghati Developer)
88	Dehradun	Hotel Height View Residency
89	Dehradun	Hotel Himalayan
90	Dehradun	Hotel Ida
91	Dehradun	Hotel Laxmi Palace (Fl6)
92	Dehradun	Hotel Lords
93	Dehradun	Hotel Narulas
94	Dehradun	Hotel Park View
95	Dehradun	Hotel Saffron Leaf (A Unit Of Sky Scraper Group)
96	Dehradun	Hotel Sj Paradise (A Unit Of Hotel Sj Residency)
97	Dehradun	Hotel The Glory
98	Dehradun	Hotel The Prominence(U/O S A Ananad & Associates)

199	Dehradun	Red Forest Resort & Restaurant
200	Dehradun	Red Coal(A Unit Of Shree Balaji Holdings)
201	Dehradun	Rk Hospitality Restaurant
202	Dehradun	Rap Hospitality
203	Dehradun	Reverstone Retreat
204	Dehradun	Rhythm Restaurant
205	Dehradun	Sir Biotech India Ltd(Hyatt Regency)
206	Dehradun	Smoke House Deli
207	Dehradun	Social(A Unit Of Doon Ghati Hospitality Llp)
208	Dehradun	Soule
209	Dehradun	Sharmas Brother & Sons (Pyramid)
210	Dehradun	Sheesha Lounge & Restaurant
211	Dehradun	Shree Ram Royal Paradise (Fairfield By Marriot)
212	Dehradun	T Qila (Royal Oak Hospitality Llp)
213	Dehradun	Talab Cafe
214	Dehradun	Tamo Vista Pvt Ltd
215	Dehradun	Terrazzo Restaurant (Unit Of Ashirwad Associates)
216	Dehradun	The Black Pearl
217	Dehradun	The Black Pearl Tales Restro & Lounge
218	Dehradun	The Cosmopolitan
219	Dehradun	The Glen Westend House
220	Dehradun	The Ritz Hotels & Resorts
221	Dehradun	The Sylverton(A Unit Of R.K.M. Enterprises)
222	Dehradun	Tonic Cafe
223	Dehradun	Tashee Wine Dine
224	Dehradun	The Bottle Gounds (Naturovoville Hospitality)
225	Dehradun	The Cleridges Nabha Bar Mussoori
226	Dehradun	The Emerand Grand (A Unit Of Dsr Continetal)
227	Dehradun	The Garrison B.B.C Bulding
228	Dehradun	The Great Indian Pub,Gng Enterprises
229	Dehradun	The Hotel Js Souvenier
230	Dehradun	The Imperial Square(Hotel & Restaurant)
231	Dehradun	The Night Owl (Hotel The Nine)
232	Dehradun	The Shahanshahi
233	Dehradun	The Solitaire Hotel
234	Dehradun	The Tavern Restaurant(Doon)
235	Dehradun	The Traven Restaurent & Bar Mussoori
236	Dehradun	The Westin Blu (A Unit Of Grand Emerald Hotels)
237	Dehradun	The Club Antra Purukul Senior Living Ltd
238	Dehradun	The Punjab Hospitality(Brew Estate)
239	Dehradun	Thee Heart Restaurant Bar
240	Dehradun	Thee Spasso(A Unit Of Evergreen Entp.)
241	Dehradun	Town Table Restaurant
242	Dehradun	Urban House Restaurent
243	Dehradun	Vishranti Heritage Hotel Pvt Ltd
244	Dehradun	Walk In Woods
245	Dehradun	Wood Pecker Cafe & Party Lawn
246	Dehradun	Yellow Hills(Unit Of Inngreen)
247	Dehradun	Play Boy Beer Garden
248	Haridwar	Aaliya Jungle Bandarjood

249	Haridwar	Amlime Hotels Pvt Ltd (Hyphen Hotel)
250	Haridwar	Ambrosia Resort
251	Haridwar	Classic Restaurent
252	Haridwar	Dreemland
253	Haridwar	Gardenia Hotel Spa & Resort
254	Haridwar	Hotel Diamond
255	Haridwar	Hotel Flora Restaurent
256	Haridwar	Hotel Jasmine
257	Haridwar	Hotel Prashant Grand
258	Haridwar	Hotel Vinayak Grand
259	Haridwar	Himalaya Eco Park & Resorts
260	Haridwar	Hotel Aryan
261	Haridwar	Hotel Centrum
262	Haridwar	Hotel Godawari
263	Haridwar	Hotel Imperial Blue
264	Haridwar	Hotel Invitiation
265	Haridwar	Hotel Maya Palace
266	Haridwar	Hotel Prem
267	Haridwar	Hotel Raj Palace Bar
268	Haridwar	Lotus Info Project Private Ltd
269	Haridwar	M/S Blue Safayar Motel
270	Haridwar	Mitras Bar
271	Haridwar	Motel Devine International
272	Haridwar	Marvelous Inf. Pvt. Ltd. (Hotel Radission)
273	Haridwar	P C Pal And Sons Propwriter Aalia Resort
274	Haridwar	Pie Restaurent
275	Haridwar	Restaurent Q1 Grill & Chill
276	Haridwar	River View Hotels Pvt. Ltd.
277	Haridwar	Rastik House
278	Haridwar	Royal Palace Bar
279	Haridwar	Sijiling Treet Restaurent
280	Haridwar	Suchi Sagar Hospitality(Pinaka Hotel)
281	Haridwar	Sarover Hotel Pvt Ltd
282	Haridwar	Solitare Restaurent
283	Haridwar	The Stash House Restaurent
284	Haridwar	The White Rabbit
285	Haridwar	Urvashi Hotel
286	Haridwar	Vishal Bar
287	Nainital	Anand Lok Restaurent & Bar
288	Nainital	Aashu Bar,Lamachor
289	Nainital	Ankur Restaurent
290	Nainital	Ashoka Restaurent & Bar Haldani
291	Nainital	B & S Restaurant Seven Store Manpur
292	Nainital	Billionaire The Drinking House
293	Nainital	Blue Night Restaurent
294	Nainital	Bharat Restaurent & Bar
295	Nainital	Blue Saphire(New Rock Hotels Pvt.Ltd)
296	Nainital	Boat House Club Beer
297	Nainital	Chilly Family Restaurant
298	Nainital	Cocktail Kitchen Sop

299	Nainital	Carbet Bar, Ranikhet Road, Ram Nagar
300	Nainital	Carbet City Bar Ramnagar
301	Nainital	Chaina Restaurent & Bar, Lalkua
302	Nainital	City Club Restaurent
303	Nainital	D.S.Hotel & Resorts India Ltd.(Nama Corbet)
304	Nainital	Fortune(A Unit Of Sharda Hospitality)
305	Nainital	Ganga Hotel & Restaurent
306	Nainital	Genisis River View Resort Pvt Ltd
307	Nainital	Gazal Restaurent
308	Nainital	Hill View Hotel & Restaurant
309	Nainital	Hill Way Restaurent
310	Nainital	Himraj Restaurent Khairana,Nanital
311	Nainital	Hotel Ahana
312	Nainital	Hotel Mappelwood
313	Nainital	Highway Cafe Restaurent
314	Nainital	Hops And Barley Dogra Bhujiyaghat Nainital
315	Nainital	Hotel Amardeep
316	Nainital	Hotel Jatin & Shika Restaurent
317	Nainital	Hotel Lavanya Tower
318	Nainital	Just For You Resturent
319	Nainital	Jagdish Bar, Haldani
320	Nainital	Jayka Restaurent & Bar Kathgodam
321	Nainital	Kita & Gucchi Restaurent
322	Nainital	Kohli Restaurent
323	Nainital	Kwality Restaurent & Bar
324	Nainital	Kalsa River View Restaurent
325	Nainital	Kanthak Restuarent
326	Nainital	Khayam Bar, Ramnagar
327	Nainital	Laziz Bar, Lalkuan, Haldani
328	Nainital	M Square Restaurant By (M B Associates)
329	Nainital	M/S Devashish Hotel
330	Nainital	M/S Mirchi Restaurant
331	Nainital	M/S Nexus Restaurent
332	Nainital	M/S Sarror Restaurent
333	Nainital	M/S Tarangi Resorts (A Unit Of Indopesific Resort)
334	Nainital	M/S Cygnett Resort Mountain Breeze
335	Nainital	M/S Madhushala Restaurant
336	Nainital	M/S Mano Lakshmi Restaurant
337	Nainital	M/S Mitra Restaurant
338	Nainital	M/S Pop Up Restaurant
339	Nainital	Manu Maharani Resorts Corbett
340	Nainital	Mayur Bar, Bhwaali
341	Nainital	Mid Way Bar,Bhimtal
342	Nainital	Nanital Restaurent
343	Nainital	Night Lights Restaurent
344	Nainital	No Name Restaurent & Bar
345	Nainital	Oak Barrel Restaurent
346	Nainital	Oasis Bar
347	Nainital	Payal Restaurent
348	Nainital	R V Hotels And Resorts Llp

349	Nainital	Riverside By Aahma(A Unit Of Avadon Pvt Ltd)
350	Nainital	Riya Palace Hotel Restaurant And Baiguate
351	Nainital	Shiva Palace
352	Nainital	Suraj Restaurant
353	Nainital	Suroor Restaurent
354	Nainital	Saharwani Hill Top
355	Nainital	Saurabh Mount View Hotel
356	Nainital	Share Punjab Bar
357	Nainital	The Bugyal Top Restaurent
358	Nainital	The Cask(H D Enterprises) Restaurant
359	Nainital	The River View Retreat
360	Nainital	The Sal Wood Inn
361	Nainital	The Sky Deck
362	Nainital	Topaz Restaurent
363	Nainital	The Alpine Chalet Resort
364	Nainital	The Bent Bridge (Unit Of Nexus Restaurant)
365	Nainital	The Claridges Corbett Hideway Ramnagar
366	Nainital	The Golden Task(Unit Of Iyevery Destination)
367	Nainital	The Mehfil Restaurent
368	Nainital	The Milestone Restuarent
369	Nainital	The Naini Retreat Haribhawan Aayar Pata, Nanital
370	Nainital	Tipsy Tales Restaurent
371	Nainital	Virus Bistro & Kitchen
372	Nainital	Vikarm Vintaz In Mallital Nanital
373	Nainital	Wave Restaurent
374	Nainital	Woodpecker Food Plaza Restaurant
375	Nainital	Cafe Lake Side In Hotel Restaurant
376	Nainital	Knightbirds Restaurant
377	Nainital	The Bird Cage Restaurant
378	Pauri	Hotel Hill View Kotdwar
379	Pauri	Hotel Shail Shikhar, Pauri
380	Pauri	Hotel Surya Plaza
381	Pauri	M/S Hill Stay Bhel (Mix) Restaurent
382	Pauri	M/S Vatika Restaurent
383	Pauri	Madira The Restro
384	Pauri	Samkara & Samsara(Lansdown Bar)
385	Pauri	Tourist Rest House Tip N Top
386	Pauri	Hotel Dev Bhoomi Nautha
387	Pithoragarh	Dreems Restaurent
388	Pithoragarh	First Bar & Restaurent
389	Pithoragarh	Goldan Bar
390	Pithoragarh	Hotel Gunjyal Madhur Residency
391	Pithoragarh	Home Jayaka Bar
392	Pithoragarh	Jigar Restaurent
393	Pithoragarh	Laxmi Bar & Restaurant
394	Pithoragarh	Level-1 Bar & Restaurent
395	Pithoragarh	Lunthi Restaurent Ashkot
396	Pithoragarh	Megna Chadak Restaurent
397	Pithoragarh	Mount View Bar
398	Pithoragarh	Regal Restaurant

399	Pithoragarh	Royal Bar
400	Pithoragarh	Sangum Bar
401	Pithoragarh	Super Bar & Restaurant
402	Pithoragarh	The Classic Restaurent
403	Pithoragarh	Machaan Bar & Restaurant
404	Tehri	Anand Kashi Hospitality Llp
405	Tehri	Apra Amusement Pvt Ltd(Thrill Factory)
406	Tehri	Ananda In The Himalayas
407	Tehri	J.W. Marriot Mussoorie Walunt Grove Resort & Spa
408	Tehri	M/S Mahananda Spa & Resorts
409	Tehri	M/S Pink Caffe Restaurent & Bar
410	Tehri	M/S Raga On The Ganges(Unit Of Upcap India)
411	Tehri	Shiva Resort Shivpuri
412	Tehri	Taj Rishikesh Resort & Spa
413	Tehri	The Kanatal Resorts & Spa
414	Tehri	The Terrace Resort
415	Udham Singh Nagar	Afternoon Cafe & Reataurant
416	Udham Singh Nagar	Ambeshi Restaurent
417	Udham Singh Nagar	Aussie Restaurant
418	Udham Singh Nagar	City Palace Restaurant
419	Udham Singh Nagar	Crystal Blu Restaurant & Bar
420	Udham Singh Nagar	Eagle Bar
421	Udham Singh Nagar	Golden Restaurant
422	Udham Singh Nagar	Hotel Radison & Restaurent
423	Udham Singh Nagar	Hotel Sunshine (Kapoor Regency)
424	Udham Singh Nagar	Hotel The Bliss
425	Udham Singh Nagar	House Of Uk
426	Udham Singh Nagar	Hotel Business In Restorant And Bar
427	Udham Singh Nagar	Hotel Centre Point
428	Udham Singh Nagar	Hotel Punjab Regensy
429	Udham Singh Nagar	Hotel The Venus (Narang Bao Sant Infrastures Pvt L
430	Udham Singh Nagar	Infinity Restaurent & Lodge Metropolise Mall
431	Udham Singh Nagar	Kehlo Hotel & Resturent
432	Udham Singh Nagar	Liyo Restaurent
433	Udham Singh Nagar	M/S Naval Hotel & Resorts
434	Udham Singh Nagar	Madhushala Restaurant
435	Udham Singh Nagar	Menore Bar
436	Udham Singh Nagar	R R Square Restaurent & Bar
437	Udham Singh Nagar	Rudarpur City Club
438	Udham Singh Nagar	Radisson Blu Hotel Metropolis
439	Udham Singh Nagar	Rajshri Restaurant
440	Udham Singh Nagar	Roodra Bar
441	Udham Singh Nagar	Sky 9 Restaurent
442	Udham Singh Nagar	Saini Bear Bar
443	Udham Singh Nagar	Siddhu Bar
444	Udham Singh Nagar	Sonia Bar
445	Udham Singh Nagar	The Nest Cafe & Stay
446	Udham Singh Nagar	The Trai Tandoor
447	Champawat	Dream Restaurent & Bar
448	Champawat	Kumu Bar & Restaurent

449	Champawat	Swagat Restaurent & Bar